VISIONIAS

www.visionias.in

MAINS 365

Classroom Study Material

अर्थव्यवस्था

September 2016 – October 2016

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. वित्त एवं बैंकिंग _____ *5*

1.1. पेन्शन उत्पादों का विनियमन _____ 5

1.2. बैड बैंक का विचार _____ 5

1.3. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) _____ 6

1.4. प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों का विनियमन _____ 7

1.5. बैंकों में साइबर सुरक्षा: डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी का मामला _____ 8

2. रोजगार और कौशल विकास _____ *10*

2.1. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना _____ 10

3. समावेशी संवृद्धि और विकास _____ *11*

3.1. सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं (माइक्रोफाइनेंस इंस्टिट्यूटंस: MFIs) के विकास में शहरी-ग्रामीण असमानता _____ 11

3.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण _____ 11

3.3. ग्राणीण भारत निर्धनता उन्मूलन _____ 12

4. सरकारी बजट प्रक्रिया _____ *14*

4.1. बजट सुधार _____ 14

4.2. सक्षम परियोजना _____ 15

4.3.भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) _____ 15

4.4. परियोजना इनसाइट _____ 16

5. कृषि _____ *17*

5.1. दाल संकट _____ 17

5.2. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि _____ 18

5.3.AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता _____ 18

5.4. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक _____ 19

5.5. कृषि विकिरण केंद्र _____ 21

5.6. कृषि उपज में विकल्प _____ 21

6. औद्योगिक नीति एवं संबंधित मुद्दे _____ *23*

6.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष-शून्य प्रभाव योजना आरंभ _____ 23

6.2. अमेरिका को पीछे छोड़ भारत बनेगा कोयला का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक _____ 23

6.3. खनन निगरानी प्रणाली (MSS) _____ 24

6.4. वाराणसी में ऊर्जा गंगा का शुभारंभ _____ 25

6.5. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) _____ 26

VISION IAS

7. विदेशी निवेश ____ *27*

7.1. चालू खाता अधिशेष की स्थिति ____ 27

7.2. FDI संवर्द्धन : विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा ____ 27

8. अवसंरचना ____ *28*

8.1. सुस्त सड़क परियोजनाएं ____ 28

8.2. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर) ____ 29

8.3. अवसंरचना वित्तपोषण ____ 30

8.4. विद्युत पारेषण योजना निर्माण ____ 31

8.5. विद्युत प्रशुल्क (टैरिफ) नीति में संशोधन ____ 32

8.6. भारतीय पुल प्रबन्धन प्रणाली ____ 33

8.7. निर्माण क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने की नवीन पहल ____ 33

8.8. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ ____ 34

8.9. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ____ 35

9. निवेश मॉडल ____ *37*

9.1. PSUs सुधार: विनिवेश नीति ____ 37

10. विविध ____ *38*

10.1. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार ____ 38

10.2. CSR व्यय में रुझान ____ 38

10.3.ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग ____ 39

10.4. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार ____ 40

10.5. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स) ____ 41

10.6. विश्व लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक ____ 42

10.7. भारत विश्व व्यापार संगठन में अपील हारा ____ 42

10.8. भारत का पहला वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र ____ 43

10.9. एक्वाकल्चर को बढ़ावा ____ 43

10.10. मुख्य भूमि से अंडमान को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे केबल ____ 43

10.11. 94.4% परिवारों में बैंक खाते ____ 44

10.12. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 ____ 44

10.13. इथेनॉल मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन ____ 45

10.14.ओपेक द्वारा सामूहिक उत्पादन सीमित करने का निर्णय ____ 45

VISION IAS

10.15. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (WEF) _______ 45
10.16. डिजिटल अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए कानून _______ 46
10.17. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क _______ 47

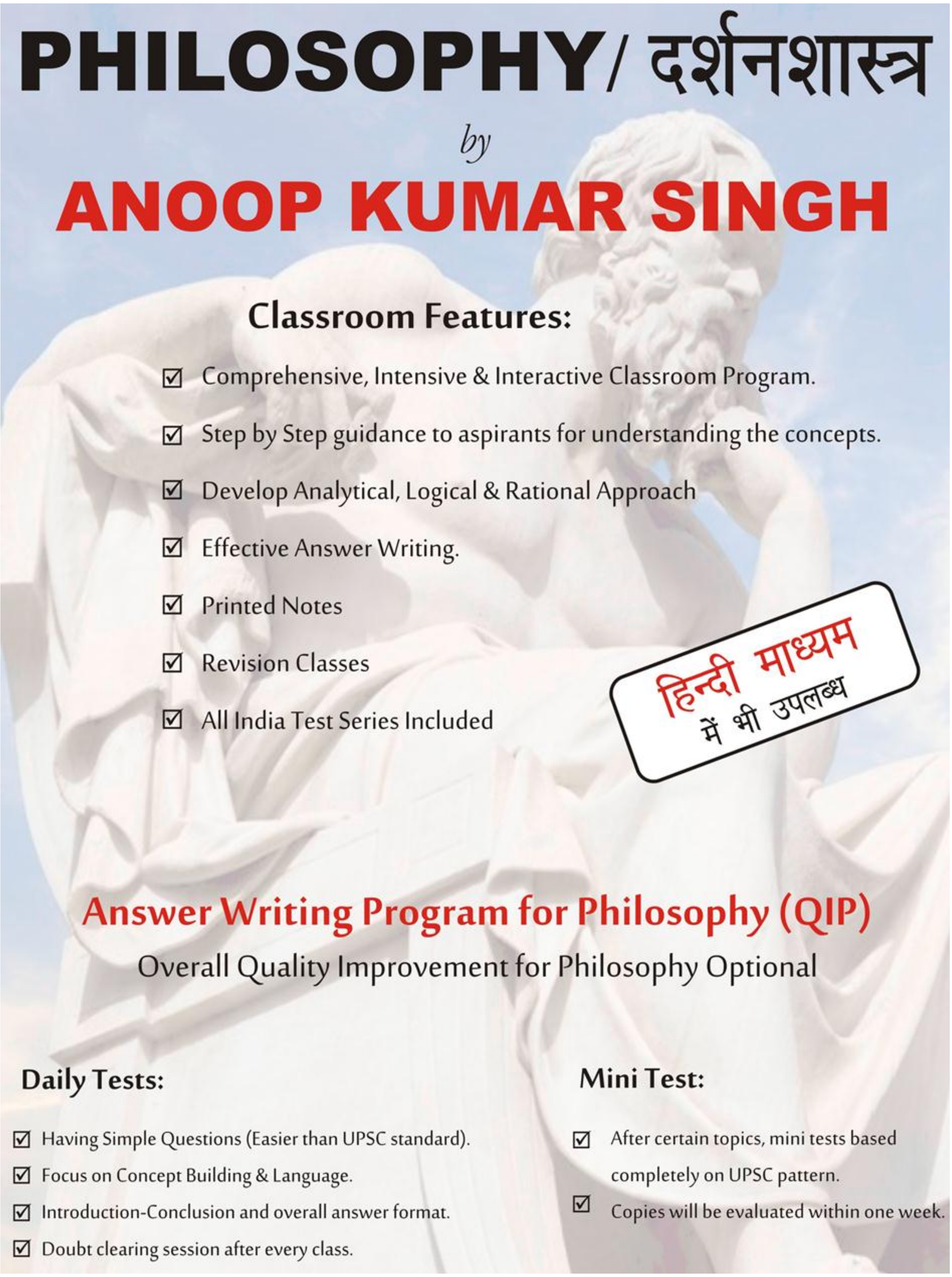

1. वित्त एवं बैंकिंग

(FINANCE AND BANKING)

1.1. पेन्शन उत्पादों का विनियमन

(Regulation of Pension Products)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने पेन्शन उत्पादों के विनियमन को समेकित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। वर्तमान में यह कार्य बीमा एवं शेयर बाजार नियामकों सहित तीन विभिन्न निगरानी तंत्रों(वॉचडॉग) द्वारा किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(PFRDA) की स्थापना सभी पेन्शन उत्पादों को विनियमित करने के आशय से की गयी थी। हालांकि, बीमा कंपनियां और सहभागी निधि (म्युचुअल फंड) इसकी निगरानी से परे पेन्शन उत्पादों की बिक्री जारी रखे हुए हैं। यह सेवानिवृत्ति के बाद निरंतर धन की आपूर्ति का माध्यम निर्मित करने में संलग्न उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करता है।
- बीमा कम्पनियों द्वारा जारी किए गए पेन्शन उत्पाद, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(IRDA) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि म्युचुअल फंड द्वारा विक्रय किए जाने वाले उत्पादों की देखरेख सेबी (SEBI) द्वारा की जाती है। लेकिन उनका मुख्य फोकस क्रमश: बीमा और म्युचुअल फंड/पूंजी बाजार पर होता है, इसलिए उनके द्वारा किया गया पेन्शन विनियम अत्यंत कम होता हैं।

पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के संबंध में

- पेन्शन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(PFRDA), वर्ष 2003 में स्थापित किया गया एक विनियामक प्राधिकरण है।
- इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
- यह पेन्शन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन कर वृद्धावस्था आय सुरक्षा में वृद्धि करता है एवं पेन्शन निधियों एवं संबंधित मामलों की योजनाओं में ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।

1.2. बैड बैंक का विचार

(Idea of Bad Bank)

पृष्ठभूमि:

- भारतीय बैंको में, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में गैर-निष्पादक परिसम्पत्तियों (NPA) की समस्या विशाल अनुपात में बढ़ गयी है।
- सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसी दिशा में एक अन्य सुझाव बैड बैंक (bad bank) के निर्माण का है।

बैड बैंक क्या है?

- बैड बैंक की स्थापना एक **पृथक संस्था के रूप में की जाएगी जो अन्य बैंकों से गैर निष्पादक परिसम्पत्तियों का क्रय करेंगे, जिससे नए उधार प्रदान करने के लिए बैंकों के बही-खाते मुक्त किए जा सकें। इसी दौरान, यह अशोध्य परिसम्पत्तियों (toxic assets) का उचित रूप से निपटान करने की दिशा में कार्य करेगी।**
- यह अवधारणा सर्वप्रथम पिट्सबर्ग स्थित मुख्यालय वाले मेलॉन बैंक द्वारा आरम्भ की गयी थी एवं 2007 के वित्तीय संकट के बाद आयरलैंड, स्वीडन, फ्रांस इत्यादि जैसे **कई यूरोपीय देशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है।**

बैड बैंक के लाभ

- भारतीय वित्तीय क्षमताओं की सीमाओं के कारण, **पुन:पूंजीकरण की वर्तमान विधि केवल आंशिक रूप से ही सफल हो सकती है।** इसके अतिरिक्त यह अशोध्य परिसम्पत्तियों का शोधन नहीं करेगी बल्कि परियोजनाओं को केवल कुछ और अधिक समयावधि देगी।
- बैड बैंक वास्तव में बैंकों के बही-खातों को भारमुक्त करने में सहायता करेगा और इस प्रकार **यह खरीददारों के लिए बैंकों को अधिक आकर्षक** बना सकता हैं।

VISION IAS

- यह पृथक्करण NPA को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करेगा। ऋण देने की तुलना में पुनर्संरचना करने एवं कारोबार को समेटने की स्थिति में संगठनात्मक आवश्यकतायें और कौशल सेट अत्यधिक भिन्न होते हैं। यह **पृथक्करण, बैड बैंक में सर्वोत्तम उपयुक्त प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को स्थापित करने में सहयोग कर सकता है, जबकि 'सामान्य बैंक' ऋण देने पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।**

मुद्दे:

- रघुराम राजन का मानना था कि **यह अवधारणा भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती** क्योंकि बैंकों के ऋण को आधार प्रदान करने वाली अधिकतर परिसम्पत्तियाँ वहनीय हैं या वहनीय बनायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए परियोजनाओं का एक बड़ा भाग भूमि अधिग्रहण या पर्यावरणीय अनुमति में आने वाली समस्याओं जैसे बाहरी कारकों के कारण ठप्प पड़ जाता है। उन्हें केवल पुनर्संरचना एवं अतिरिक्त वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- **बैड बैंक की संरचना और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित समस्यायें हैं।**
- सरकार की बड़ी हिस्सेदारी, बैड बैंक को सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के समान ही शासन और पूँजीकरण समस्याओं से ग्रसित कर देगी।
- दूसरी ओर निजी शेयरधारिता की अधिकता, बैड बैंक को हस्तांतरित करते समय ऋणों का उचित मूल्यांकन न किए जाने पर पक्षपात एवं भ्रष्टाचार संबंधी आलोचना का शिकार हो सकती है।

आगे की राह:

- इसे अनिवार्य रूप से अन्य कदमों की मदद से पूरित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से बेहतर कार्य निष्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों में और अधिक पूँजी का निवेश किया जाना चाहिए।
- इसे संसद के अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में अशोध्य ऋणों से निपटने के लिए सर्वोच्च ऋण समाधान प्राधिकरण का निर्माण भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह प्राधिकरण सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में बड़े ऋणों के पुनर्गठन का पुनरीक्षण करेगा। यह संबंधित चिंता के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में व्याप्त गतिहीनता का शमन करेगा एवं स्थगित परियोजनाओं में निधियों का प्रवाह करेगा।
- अशोध्य ऋणों का समाधान एवं सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के स्वास्थ्य को पुन:स्थापित करना, अर्थव्यवस्था द्वारा आजकल सामना की जाने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस परिस्थिति में बैड बैंक एकमात्र अनुक्रिया नहीं हो सकते।

1.3. सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC)

(Public Debt Management Cell [PDMC])

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) स्थापित किया है।

यह क्या है?

- यह एक अंतरिम व्यवस्था है एवं लगभग दो वर्ष में इसे वैधानिक सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के रूप में उन्नत किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में अवरोधों को उत्पन्न किए बिना भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक कर क्रमिक और निर्बाध तरीके से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी को सौंपने की प्रक्रिया को संभव करना है।
- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) में आवश्यक विशेषज्ञता के लिए मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के 15 अनुभवी ऋण प्रबंधक होंगे।
- संयुक्त सचिव (बजट) की अध्यक्षता में संयुक्त कार्यान्वियन समिति, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (PDMC) से सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) में संक्रमण प्रक्रिया की निगरानी करेगी।

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य

- भारतीय रिजर्व बैंक के वैधानिक कार्यों से संघर्ष को टालने के लिए इसका कार्य केवल परामर्श प्रदान करना होगा।
- यह सरकारी उधार की योजना निर्मित करेगा और साथ ही साथ इसकी देनदारियों का प्रबंधन करेगा।
- इसके अतिरिक्त यह नकदी शेष का अनुवीक्षण करेगा, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए तरल एवं दक्ष बाजार को सुपोषित करेगा एवं सरकार को निवेश, पूँजी बाजार संचालनों, लघु बचतों पर ब्याज दरों को नियत करने इत्यादि मामलों पर परामर्श देगा।
- यह सरकार की सभी देयताओं के लिए वास्तविक समय(रियल टाइम) आधार पर केन्द्रीकृत डेटाबेस के रूप में एकीकृत ऋण डेटाबेस तंत्र (IDMS) का विकास करेगा एवं सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के लिए आवश्यक प्रारंभिक कार्य सम्पन्न करेगा।

VISION IAS

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) के संबंध में

- सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA), प्रस्तावित विशिष्ट स्वतंत्र एजेंसी है जो समग्रतावादी दृष्टिकोण से केन्द्र सरकार की आंतरिक और बाहरी देयताओं का प्रबंधन करती है।
- सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि 2 वर्ष के भीतर सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी(PDMA) का गठन किया जाएगा।
- **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) की आवश्यकता** का अनुभव किए जाने के कुछ कारण इस प्रकार हैं:

✓ वर्तमान में बाजार उधार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाता है लेकिन बाहरी ऋण का प्रबंधन सीधे केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना, ऋण प्रबंधन के सभी कार्यों को एक एजेंसी में समेकित करेगी एवं आंतरिक और बाह्य देयताओं का समग्र प्रबंधन संभव करेगी।

✓ अल्पावधि ब्याज दर नियत करने (अर्थात मौद्रिक नीति का कार्य) एवं सरकार के बांड की बिक्री करने की भारतीय रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी में गंभीर हित-संघर्ष समाविष्ट है। यदि केंद्रीय बैंक, प्रभावी ऋण प्रबंधक बनने का प्रयास करता है, तो इसमें उच्च मूल्यों पर बांड(bonds) की बिक्री अर्थात ब्याज दरों को कम रखने के प्रति झुकाव होगा। इससे मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है।

✓ सरकार के ऋण का प्रबंधन, बैंकों का विनियमन और मौद्रिक नीति सभी परस्पर संबद्ध हैं जिसे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) जैसी एजेंसी द्वारा बेहतर रूप से समन्वित किया जा सकता है।

✓ सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पन्न नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए कोई भी एजेंसी नकद एवं निवेश प्रबंधन का कार्य नहीं करती है, अनुषंगी एवं अन्य देयताओं के संबंध में सूचनाएँ समन्वित नहीं हैं। इसका ध्यान सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) द्वारा रखा जाएगा।

- हालांकि कुछ विशेषज्ञ **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (PDMA) की सफलता के प्रति सशंकित** हैं। वे इस आशंका के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं:

✓ भारत में संप्रभु ऋण प्रबंधन केवल संसाधन की लामबंदी का कार्य नहीं है बल्कि इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव होते हैं। इस प्रकार इसे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो संभवत: स्वतंत्र एजेंसी द्वारा नहीं दिया जा सकता।

✓ PDMA का ध्यान केवल केन्द्र सरकार पर होता है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक संघ एवं राज्य सरकारों दोनों के ऋण प्रबंधन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

✓ हित-संघर्ष अभी भी विद्यमान रहेगा क्योंकि सरकार सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) में प्रमुख शेयरधारक है।

1.4. प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों का विनियमन

(Regulation of Direct Selling Firms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र ने पोंज़ी स्कीमों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए प्रत्यक्ष विक्रय (direct selling) और बहु स्तरीय विपणन (multi-level marketing) के व्यवसाय को विनियमित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को मॉडल दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

प्रत्यक्ष विक्रय: प्रत्यक्ष विक्रय नेटवर्क के एक भाग के तौर पर सेवाओं की अदायगी या वस्तुओं का विपणन ,वितरण एवं विक्रय।

पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम: यह एक अधारणीय व्यवसाय को शामिल करता है जिसमें लोगों को उनके द्वारा एक ऐसे व्यवसाय में अन्य लोगों को शामिल करने या उनका नामांकन करने के लिए पुरस्कार स्वरुप धन या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, जिसमे किसी मूल्यहीन उत्पाद या किसी ऐसी वस्तु की पेशकश की जाती है जिसका अस्तित्व ही न हो।

पोंजी स्कीम: यह एक फर्जी निवेश घोटाला है जिसमे निवेशकों को कम जोखिम के साथ उच्च दर के लाभ का वायदा किया जाता है।

पिरामिड योजनाएं पुरस्कार चिट और धन संचरण योजना (प्रतिबन्ध) अधिनियम ,1978 {**Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978**} के अधीन प्रतिबंधित हैं।

नियमन की आवश्यकता

- कई धोखाधड़ी योजनाएं विशेष रूप से पिरामिड स्कीम और मनी सर्कुलेशन स्कीम के रूप में प्रचलित रही हैं। उनकी प्रक्रियाएं इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समान हैं और यह न केवल भोले-भाले ग्राहकों के लिए एक समस्या पैदा करती हैं, बल्कि प्रमाणिक प्रत्यक्ष विक्रय कंपनियों के लिए भी माहौल को ख़राब करती हैं।
- पुरस्कार चिट और धन संचरण योजना (प्रतिबन्ध) अधिनियम,1978 के तहत धन के अनैतिक संचलन के लिए दो वर्ष पूर्व देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे के सीईओ तथा एमडी विलियम पिंकनी की गिरफ्तारी से यह विषय सुर्ख़ियों में आया।
- इसके अलावा, प्रत्यक्ष विक्रय की विशेष प्रकृति के कारण एजेंटों और ग्राहकों को किसी भी तरह के शोषण से बचाना आवश्यक है।

मॉडल दिशा-निर्देश: प्रमुख बिंदु

- **धोखाधड़ी से संरक्षण**:
- यह फ्रेमवर्क वैध प्रत्यक्ष विक्रय को परिभाषित करता है और उसे पिरामिड तथा मनी सर्कुलेशन स्कीम से अलग करता है ताकि धोखाधड़ी करने वाले कर्ताओं की पहचान में जांच एजेंसियों की मदद की जा सके।
- ये दिशा-निर्देश एक प्रत्यक्ष विक्रय व्यवसाय की स्थापना के लिए शर्तों को सूचीबद्ध करते हैं जिसमें ऐसी फर्मों का पंजीकृत कानूनी इकाई होने की शर्त शामिल है।
- **एजेंटों के हित** :
- इन संस्थाओं को सीधे विक्रेताओं या एजेंटों के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करना होगा, तथा उन्हें बेचीं गयी वस्तुओं और सेवाओं के लिए पूर्ण रिफंड या बाई बैक गारंटी की सुविधा प्रदान करनी होगी।
- ये दिशा-निर्देश कंपनियों द्वारा एजेंट से किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क तथा नहीं बिके हुए शेयरों को खरीदने के लिए एजेंटों को बाध्य करने की व्यवस्था पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।
- ये दिशा-निर्देश एक पारिश्रमिक प्रणाली को स्थापित करते हैं।

उपभोक्ता हित

यह शिकायत निवारण समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है।

निष्कर्ष

इन दिशा-निर्देशों का सभी हितधारकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है। इन दिशा-निर्देशों में धोखाधड़ी करने वाले लोगों का सफ़ाया करने, गंभीर कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा एजेंटों व उद्यमियों के साथ ग्राहकों की रक्षा करने की, क्षमता है।

1.5. बैंकों में साइबर सुरक्षा: डेबिट कार्ड के डेटा की चोरी का मामला

(Cyber Security In Banks: Debit Card Data Theft Issue)

पृष्ठभूमि

- हाल ही में यह उजागर किया गया था कि लगभग 19 भारतीय बैंकों ने पिछले 6 महीनों में डेटा की चोरी की विभिन्न घटनाओं का सामना किया। भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ी डेबिट कार्ड धोखाधड़ी है।
- बैंकों ने 32 लाख से अधिक डेबिट कार्ड वापस मंगाकर उन्हें बंद किया है।
- इससे लगभग 1.3 करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है। संभावित हानि इसकी तुलना में बहुत अधिक हो सकती है।
- सभी खुदरा लेन-देनों की निगरानी करने वाले **नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** द्वारा की गयी जांच ने भारत में ATM, प्वाइंट ऑफ सेल एवं अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाली हिताची पेमेन्ट सर्विसेज की प्रणालियों में **मैलवेयर-प्रेरित सुरक्षा उल्लंघन** पाया।

निहितार्थ

- सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए डिजिटल क्रांति का दोहन करने के लिए प्रयासों में संलग्न हैं। उदाहरण के लिए,

✓ वित्तीय समावेशन बढ़ाने की दिशा में कदम,

✓ प्रत्यक्ष लाभ भुगतान मॉडल के माध्यम से सब्सिडी का बेहतर लक्ष्यीकरण,

✓ लेन-देन की लागत कम करके आर्थिक दक्षता में सुधार, एवं

✓ काले धन के सर्कुलेशन को कम करने और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर प्रगति।

- इस प्रकार, यह धोखाधड़ी, भारतीय खुदरा वित्तीय संरचना की सुभेद्यता को उजागर करती है।
- इससे वित्तीय संरचना में लोगों की आस्था और विश्वास कमजोर होता है।
- यदि प्रभावी साधनों द्वारा इसका समाधान तत्काल नहीं किया गया तो यह सरकार के लिए बड़ा झटका सिद्ध हो सकता है।

साइबर अपराधों की समस्या हल करने के लिए RBI के प्रयास

- जून 2016 में, RBI ने बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे के संबंध में निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित साइबर सुरक्षा नीति स्थापित करने, साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार करने एवं सतत निगरानी के लिए व्यवस्था निर्मित करने के लिए कहा गया।
- जारी किए गए सर्कुलर में बैंकों से असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं को RBI के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया है।
- RBI ने बैकों की साइबर सुरक्षा पहलों में सहायता करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण एवं साइबर सुरक्षा संबंधी एक विशेषज्ञ पैनल स्थापित किया है।
- यह 2017-18 तक सभी बैंकों को हाल में शुभारम्भ किए गए विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षण कार्यक्रम में समाविष्ट करने का भी प्रस्ताव देता है।

अन्य आवश्यक उपाय

- शाखाओं, ATM एवं ऑनलाइन बैंकिंग नेटवर्क सभी के बीच, पीढ़ीगत लीगेसी प्रणालियों को एक निर्दोष एवं सुरक्षित समग्र प्रणाली में समन्वित करना बैंकों की जिम्मेदारी है।
- साइबर सुरक्षा को बैंकों की शीर्ष प्राथमिकता में रखने की आवश्यकता है। उधारदाताओं के स्तर पर शीर्ष प्रबंधनों को अपनी साइबर प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, चेतावनियों एवं चेतावनी संकेतों पर अविलम्ब ध्यान देना चाहिए एवं कमियों का समाधान करना चाहिए।

निष्कर्ष

डिजिटल बनना एक अवसर है और साथ ही संकट भी, किन्तु फिर भी यह आवश्यक है क्योंकि यह अपने साथ सरलता लेकर आता है। किन्तु हमें बेहतर धोखाधड़ी प्रबंधन एवं सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

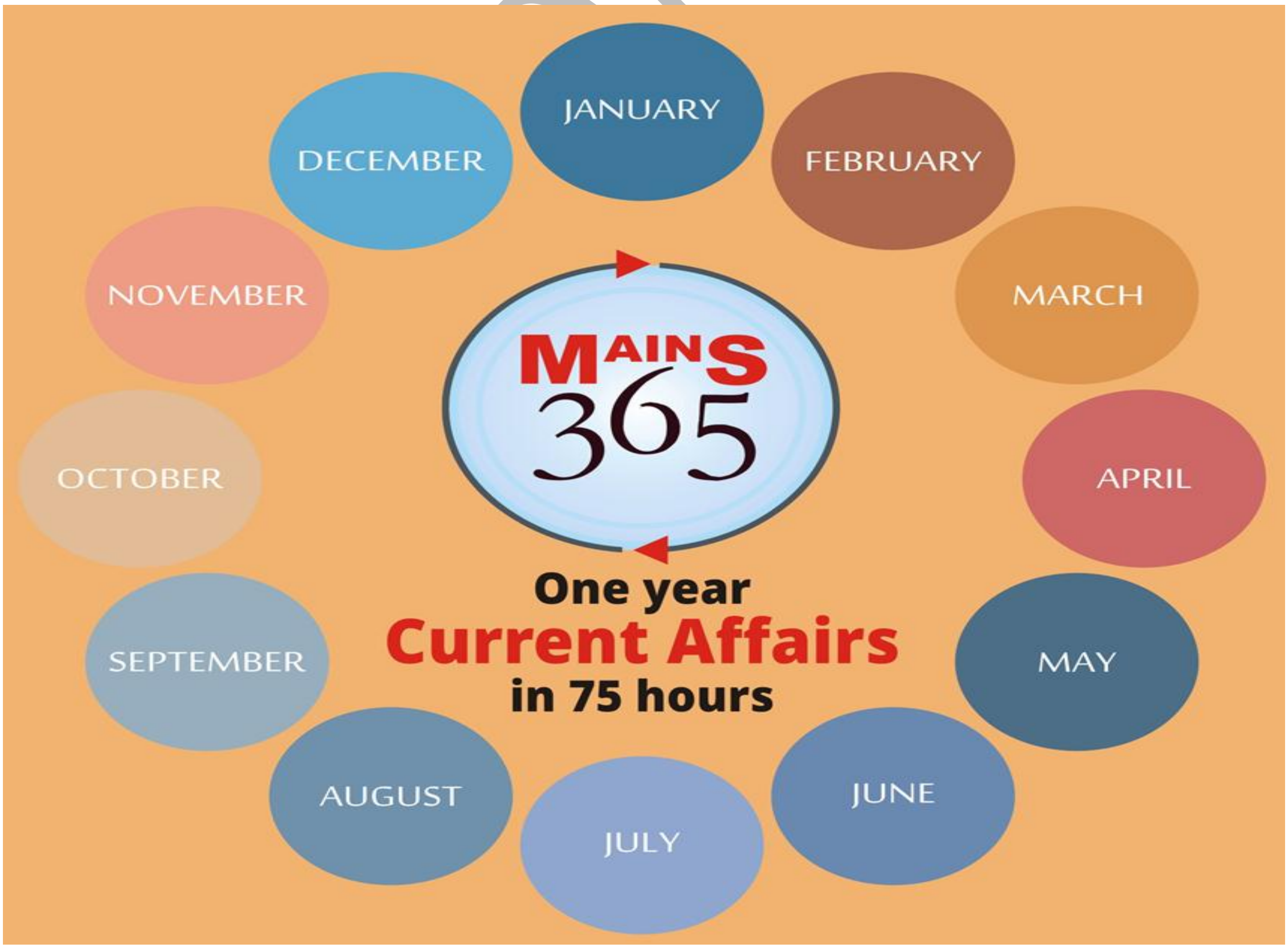

2. रोजगार और कौशल विकास

(EMPLOYMENT AND SKILL DEVELOPMENT)

2.1. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना

(National Apprenticeship Promotion Scheme)

- सरकार ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय और 2019-20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना को अधिसूचित किया है।
- यह अद्वितीय है क्योंकि, यह नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली पहली योजना है जिसमें एक प्रशिक्षु को देय निर्धारित मानदेय का 25% सीधे भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।
- प्रशिक्षुओं और नियोक्ताओं द्वारा पंजीकरण, अनुबंध का पंजीकरण तथा नियोक्ताओं को भुगतान सहित सभी लेनदेन ऑनलाइन किये जायेंगे।
- पात्र नियोक्ता, प्रतिष्ठान की कुल संख्या के 2.5% से 10% तक प्रशिक्षुओं को संलग्न करेगा।
- किसी पूर्व औपचारिक व्यापार प्रशिक्षण के बिना प्रशिक्षण के लिए आने वाले नव प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण लागत को प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ साझा करने के द्वारा यह योजना बुनियादी प्रशिक्षण को भी समर्थन प्रदान करती है।
- यह एक उद्यम केन्द्रित, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति, 2015, भारत में कुशल श्रमशक्ति निर्मित करने के एक प्रमुख घटक 'प्रशिक्षुता' पर केंद्रित है।

3. समावेशी संवृद्धि और विकास

(INCLUSIVE GROWTH AND DEVELOPMENT)

3.1. सूक्ष्म-वित्तीय संस्थाओं (माइक्रोफाइनेंस इंस्टिट्यूटंस: MFIs) के विकास में शहरी-ग्रामीण असमानता

(Urban-Rural Disparity in Growth of Microfinance Institutions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- MFIs की स्व-नियामक संस्था Sa-Dhan की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में MFIs का विकास तीव्र रहा है।
- शहरी क्षेत्रों में 27% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण में वार्षिक वृद्धि सिर्फ 14% दर्ज की गयी है।
- शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों का पहले से ही MFIs के ऋण पोर्टफोलियो में 72% की भागीदारी है। जबकि पिछले एक वर्ष में ग्रामीण अनुपात 30% से लुढ़ककर 28% पर पहुँच चुका है।
- यदि हम पुराने पीढ़ी के दो MFIs - बंधन और SKS – को छोड़ दें, तो शीर्ष चार MFIs के पोर्टफोलियो का लगभग 70 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों पर हीं केंद्रित है।

- MFIs की परिकल्पना वस्तुतः निम्न आय वाले समूहों, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है।
- शहरी क्षेत्रों की ओर MFIs का अधिक झुकाव वस्तुतः इनकी संकल्पना में निहित उद्देश्यों से भटकने की ओर इशारा करते हैं।
- MFIs समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं एवं SC/STs के सशक्तिकरण के एक महत्वपूर्ण साधन के तौर पर अपनी भूमिका को प्रमाणित कर चुके हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधिक आवश्यकता है।

उक्त प्रवृत्ति के कारण

- चुकि MFIs बैंकों से लिए गए ऋणों की लागत पर 10% से अधिक चार्ज नहीं कर सकते, अतः वे अपने संचालन लागत में कटौती करने का हथकंडा अपनाने में लगे हुए हैं। दूर-दराज के छोटे गांवों की तुलना में शहरों की मलिन बस्तियां वस्तुतः ऑफिस-स्पेस, मानव संसाधन आदि के मामले में लागत प्रभावी बाजारों के रूप में इन MFIs के बीच लोकप्रिय हो रही हैं।
- इसके आलावा, ग्रामीण ऋण की मांग में कृषि ऋण का हिस्सा सर्वाधिक है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की विभिन्न 'कृषि' योजनाओं के तहत कृषि ऋण को बेहतर तरीके कम ब्याज दर पर सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों द्वारा संचालित किया जाता है।
- यह उस बड़ी प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं कि भारत में बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की मांग कम मूल्य के हैं।
- शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन की दर तीव्र है और इन प्रवासियों में अधिकतर माइक्रोफाइनेंस ग्राहक रहे हैं।
- शहर केंद्रित कुछ MFIs के लाभ में अभूतपूर्व वृद्धि।

3.2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण

(Aadhar Based Biometric Authentication in PDS)

मुद्दा

- ज्यां द्रेज के नेतृत्व में 9 PDS राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश - में किये गए एक अध्ययन में पाया गया है कि यह प्रणाली "गरीबी रेखा से नीचे (BPL)" वाले परिवारों के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। वे PDS के माध्यम से अपने लिए निर्धारित औसतन खाद्यान्न का 84 प्रतिशत प्राप्त कर रहे हैं।
- हालांकि, "APL" (गरीबी रेखा से ऊपर) कोटे,में अत्यधित लीकेज जारी है, जहां केन्द्र सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त खाद्य भंडारों के लिए एक डंपिंग ग्राउंड के रूप में इसके इस्तेमाल किये जाने की प्रवृत्ति दर्ज की गयी है।
- PDS दुकानों पर पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) मशीनों की स्थापना एवं इन्टरनेट पर आधार डेटाबेस के साथ फिंगरप्रिंट्स के मिलान द्वारा कार्ड धारकों की पहचान व सत्यापन संबधी कार्यों ने झारखंड एवं राजस्थान जैसे राज्यों में अकुशलताओं को जन्म दिया है।

- इस प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए PoS मशीन, बॉयोमीट्रिक्स, इंटरनेट कनेक्शन, दूरस्थ सर्वर, और अन्य घटकों जैसे- स्थानीय मोबाइल नेटवर्क जैसी अनेक अस्थायी प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, इसके लिए कम-से-कम घर के कुछ सदस्यों के पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है , जिनका PDS डेटाबेस में सही ढंग से पंजीयन हो।
- केंद्र सरकार अभी भी PDS में आधार आधारित बॉयोमीट्रिक प्रमाणीकरण के अनिवार्यता पर जोर दे रही है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने PDS उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ़ आदेश दिया है।
- वर्त्तमान में मुख्य समस्या पहचान संबधी धोखाधड़ी (उदाहरण के लिए फर्जी कार्ड) न होकर, लोगों को उनके लिए निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान का आवंटन करना है।
- इसके अलावा, PoS मशीनें उपर्युक्त धोखाधड़ी को रोकने में अप्रभावी रही हैं। वे पहचान से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने में मदद कर सकती हैं, जोकि वास्तव में होता है। किन्तु तकनीकी असफलता की स्थिति में लोगों को उनके लिए निर्धारित खाद्यानों के वंचन की स्थिति को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता ।

PDS प्रणाली का विश्लेषण

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पिछले 10 वर्षों के दौरान तेजी से सुधार हुआ है।
- प्रारंभ में यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत तथा कुछ राज्यों में 80 प्रतिशत तक लीकेज के साथ अप्रभावी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त थी।
- 2007 के आसपास छत्तीसगढ़ ने PDS में सुधार के प्रयास किए, फलतः इसे और अधिक समावेशी, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में मदद मिली। अगले कुछ वर्षों में इस प्रणाली में कई सुधार किए गए।
- यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में अधिकाँश ग्रामीण परिवारों के पास एक राशन कार्ड है, और वे हर महीने समय पर अपने लिए निर्धारित खाद्यानों (आम तौर पर प्रति माह प्रति व्यक्ति 7 किग्रा चावल) को पाने में सक्षम हैं।
- कई अन्य राज्यों ने भी छत्तीसगढ़ में अपनाये गए PDS से संबंधित सुधारों (यथा- व्यापक कवरेज, स्पष्ट पात्रता (clear entitlements), PDS दुकानों के निजीकरण को कम करना, कम्प्यूटरीकरण, निर्धारित वितरण कार्यक्रम, सख्त निगरानी, परिवहन एजेंसियों का वितरण एजेंसियों से वियोजन) को अपनाया है।

आगे की राह

विशाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए एक इंड-टू-इंड (आद्योपांत) प्रौद्योगिकीय समाधान की आवश्यकता है जोकि विसंगतियों का पता लगा सके और लीकेज को रोकने में सक्षम हो।

3.3. ग्राणीण भारत निर्धनता उन्मूलन

(Rural India Poverty Eradication)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी की गयी ग्रामीण विकास रिपोर्ट (RDR) 2016 ने कई देशों में सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूपांतरण के संदर्भ में निर्धनता उन्मूलन एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करने में ग्रामीण रूपांतरण की भूमिका पर जोर दिया है।

रिपोर्ट 2016 के संबंध में

- इसे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा जारी किया जाता है।
- निर्धनता का उन्मूलन करने एवं खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में ग्रामीण रूपांतरण की भूमिका समझने के लिए ग्रामीण विकास रिपोर्ट (RDR) सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज हैं।

रिपोर्ट के महत्वपूर्ण विषय

- संरचनात्मक रूपांतरण आर्थिक विकास का कारण एवं प्रभाव दोनों है। यह निम्नलिखित में निरूपित होता है:

✓ कृषि एवं शहरी अर्थव्यवस्था में बढ़ती उत्पादकता;

✓ कृषि के स्थान पर उद्योग एवं सेवाओं की प्रमुखता के पक्ष में अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना;

✓ वैश्विक व्यापार एवं निवेशों के साथ अधिक एकीकरण; एवं

✓ शहरीकरण तथा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवसन में वृद्धि ।

VISION IAS

- ग्रामीण क्षेत्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में होने वाले इस रूपांतरण से अछूते नहीं रह सकते। निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तनों के साथ वे भी रुपांतरित होते हैं:

✓ कृषि क्षेत्र में बढ़ती उत्पादकता,

✓ बढ़ता व्यवसायीकरण एवं विपणनीय अधिशेष, एवं

✓ उच्च मूल्य कृषि की दिशा में एवं कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के माध्यम से कृषि से इतर रोजगार की दिशा में भी विविधीकरण।

- जब तक ग्रामीण रूपांतरण को समावेशी नहीं बनाया जाता तब तक निर्धनता को कम करने में यह उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता। समावेशन की यह चुनौती ही इस रिपोर्ट की मूल विषयवस्तु है, क्योंकि समावेशन के बिना निर्धनता का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।

भारत में स्थिति

- 1988-2005 के दौरान भारत की निर्धनता में कमी की गति मंद थी, लेकिन 2005-12 के दौरान यह पहले की अवधि की तुलना में लगभग तीन गुना तेजी से बढ़ी।
- 2005-12 के दौरान, सापेक्ष मूल्य परिदृश्य बढ़ते वैश्विक मूंल्यों को देखते हुए कृषि के पक्ष में पर्याप्त (50 प्रतिशत से अधिक) रूप से बदला । इससे कृषि, कृषि-सकल घरेलू उत्पाद विकास एवं वास्तविक खेत मजदूरी में निजी निवेश में बढ़ोत्तरी हुई, परिणामस्वरूप निर्धनता में अभूतपूर्व गिरावट आई।

भारत को क्या करना चाहिए?

- उच्च अनुसंधान एवं विकास (बीज) एवं सिंचाई के माध्यम से कृषि में उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना एवं पशुधन और बागवानी जैसे उच्च मूल्य के कृषि-उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का निर्माण करना।
- कृषि से इतर ग्रामीण रोजगार सृजन करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसानों और अन्य लोगों की आय बढ़ाना। इसके लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी।
- इसके 85 प्रतिशत से अधिक खेत छोटे एवं सीमांत (दो हेक्टेयर से कम) हैं, इसलिए सामुदायिक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

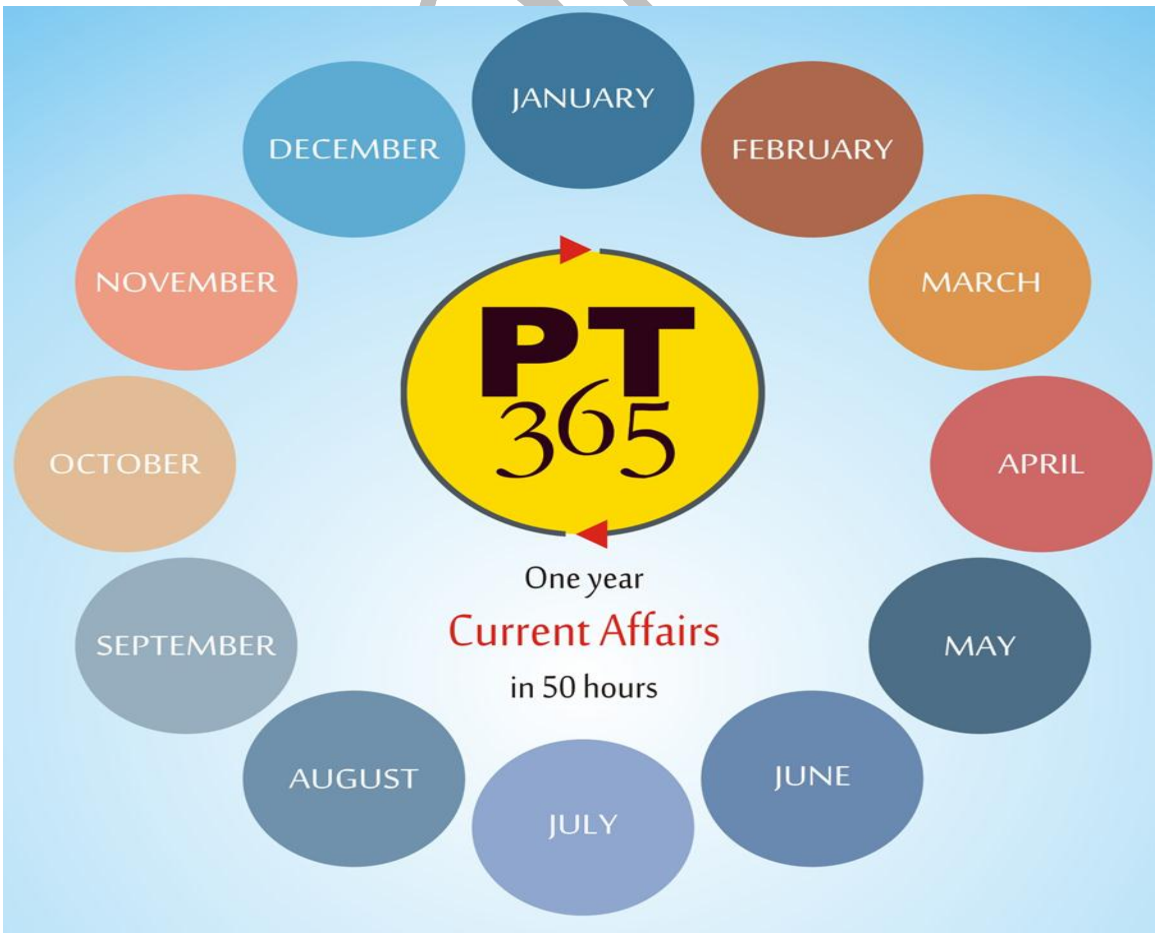

4. सरकारी बजट प्रक्रिया

(GOVERNMENT BUDGETING)

4.1. बजट सुधार

(Budgetary Reforms)

बजट संबंधी सुधारों के बारे में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ ऐतिहासिक बजटीय सुधारों पर वित्त मंत्रालय के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। ये सभी परिवर्तन 2017-18 के बजट से एक साथ प्रभाव में आ जाएंगे।

आम बजट के साथ रेल बजट का विलय

- अलग से रेल बजट को पेश करने का सिलसिला वर्ष 1924 में शुरू हुआ था, और स्वतंत्रता के उपरांत यह बजाए किसी संवैधानिक प्रावधानों के एक कन्वेंशन (परिपाटी/परंपरा) के रूप में जारी रहा।

लाभ

- यह विलय इसलिए भी अपेक्षित था ताकि लगभग **10,000 करोड़ रुपए की रेलवे की वार्षिक लाभांश देयता** को बचाया जा सके।
- वस्तुतः यह एक औपनिवेशिक प्रथा है, जो बदलती परिस्थितियों में फिट नहीं बैठता। वर्तमान में किसी भी अन्य देश में अलग से रेल बजट को पेश करने की प्रथा नहीं है।
- इसका प्रयोग बिना किसी उपयुक्त आर्थिक औचित्य के मुख्य रूप से लोकलुभावन कारणों के चलते नेताओं द्वारा किया जाता है।
- वर्षों से आम बजट संबंधी व्यय रेलवे से कहीं अधिक रहा है और रक्षा मंत्रालय जैसे कई दूसरे मंत्रालयों का व्यय रेलवे की तुलना में अधिक है।
- एक एकीकृत बजट की प्रस्तुति वस्तुतः रेलवे के मामलों को केंद्र के अधीन लाएगा और सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर एक समग्र तस्वीर भी प्रस्तुत करेगा।
- वितरण और सुशासन के पहलुओं को ध्यान में लाने के बजाय इस विलय से प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कम होने की उम्मीद है।
- विलय के परिणामस्वरूप, रेलवे के लिए विनियोग मुख्य विनियोग विधेयक का हिस्सा बनेगी।

बजट की तारीख के लिए एडवांसमेंट

लाभ

- यह बजट चक्र के जल्दी पूरा होने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। पुनः इससे वित्त वर्ष की शुरुआत से बेहतर योजना बनाने और योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मंत्रालयों और विभागों को सक्षम बनाया जा सकेगा।
- इससे पहली तिमाही सहित चालू सत्रों का पूरा उपयोग किया जा सकेगा।
- इस विलय के कारण 'लेखानुदान' के माध्यम से विनियोग की मांग की आवश्यकता पर अंकुश लगेगा और साथ ही कर में विधायी परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत से नए कराधान उपायों के लिए कानून बनाए जा सकेंगे।
- यह राज्यों को उनके अपने राज्य के बजटों के साथ धन के हस्तांतरण को सिंक्रोनाइज़ करेगा (अर्थात् उन्हें समकालिक बनाएगा)।
- हालांकि, यह चालू वित्त वर्ष में विभिन्न मंत्रालयों को अल्प व्यय के लिए प्रेरित करेगा, जो विकास के लिए एक अवरोध भी बन सकता है।

योजनागत और गैर-योजनागत वर्गीकरण का विलय

लाभ

- व्यय की योजनागत/गैर-योजनागत विभाजन ने विभिन्न योजनाओं के लिए संसाधनों के आवंटन के एक खंडित दृष्टिकोण को प्रेरित किया, जिससे न केवल एक सेवा की डिलीवरी की लागत का पता लगाना मुश्किल हो गया, अपितु इसके आउटकम (परिणामों) को इसके परिव्यय से संबद्ध करना भी एक कठिन कार्य बन गया।
- केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों की ओर से भी योजनागत व्यय के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैये ने संपत्ति के रखरखाव और अन्य संस्थानों पर होने वाले व आवश्यक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने से संबंधित व्ययों को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया है।
- यह प्रणाली पिछले प्रतिबद्धताओं और आवश्यकताओं तथा प्लान बजट के लिए अवशिष्ट संसाधनों के आवंटन पर आधारित है। इससे प्लान बजट के भीतर फंड आवंटन में होने वाले लचीलेपन में कमी आई है।
- यह विभाजन पहले महत्वपूर्ण था क्योंकि पहले योजना आयोग योजना व्यय की मात्रा का निर्धारण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। हालांकि, योजना आयोग के उन्मूलन के साथ, योजनागत और गैर-योजनागत व्यय की प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है।

VISION IAS

- लाभकारी और सामान्य व्यय के लिए इन फंडों को राजस्व और पूंजीगत शीर्षकों के तहत स्पष्ट विभाजन करना ज्यादा बेहतर होगा। इस विलय से राजस्व, और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करने वाले उचित बजटीय ढांचे की अपेक्षा है।

4.2. सक्षम परियोजना

(Project Saksham)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मंत्रिमंडलीय समिति ने अप्रत्यक्ष कर विभाग (CBEC) के लिए 2,256 करोड़ रुपये की बैक-इंड सूचना प्रौद्योगिकी (IT) परियोजना को मंजूरी दे दी।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)

- यह 2013 में स्थापित एक 'गैर-लाभकारी', गैर सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है।
- भारत सरकार की GSTN में 24.5% हिस्सेदारी है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी सहित भारत के सभी राज्यों और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (EC) संयुक्त रूप से अन्य 24.5% इक्विटी धारण करते हैं।
- शेष 51% इक्विटी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा धारण की गयी है।
- इस कम्पनी का गठन प्राथमिक तौर पर GST के क्रियान्वयन हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों, करदाताओं एवं अन्य हितधारकों को आईटी अवसंरचना एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

GST के लागू होने के बाद, GSTN के राजस्व मॉडल में प्रयोक्ता शुल्क शामिल किया जाएगा, जिसका भुगतान इस प्रणाली का उपयोग करने वाले हितधारक करेंगे और इस प्रकार GSTN वित्तीय रूप से एक आत्म निर्भर संगठन होगा।

महत्व

- CBEC के IT अवसंरचना को लेखा-परीक्षा, अपील और जांच जैसे प्रारंभिक-चरण के कार्यों के साथ ही पंजीकरण, भुगतान और CBEC को भेजे गए रिटर्न डेटा की प्रोसेसिंग के लिए वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है।
- इस IT अवसंरचना की निम्न कारणों से भी तत्काल आवश्यकता है:
- सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में CBEC की ई-सेवाओं की निरंतरता के लिए।
- स्कैन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जैसे सुविधा की तरह ही अन्य करदाता सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए।
- भारतीय कस्टम की SWIFT पहल के विस्तार के लिए और
- ई-निवेश, ई-ताल और ई-हस्ताक्षर जैसी सरकार की पहलों के साथ एकीकरण के लिए।

मुख्य तथ्य

- यह नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (सिस्टम एकीकरण) परियोजना 'सक्षम' 1 अप्रैल, 2017 से वस्तु और सेवा (GST) कर के सुगम क्रियान्वयन में सहायक सिद्ध होगी।
- इसे विप्रो की मदद से विकसित किया जाएगा जबकि GSTN को इन्फोसिस द्वारा विकसित किया गया है।
- परियोजना 'सक्षम' CBEC की बैक-इंड IT अवसंरचना है। एक निजी निकाय, जीएसटी नेटवर्क (GSTN), इंफोसिस की मदद से फ्रंट-इंड अवसंरचना विकसित कर रहा है।

4.3.भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS)

(Merchandise Exports from India Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय निर्यातकों के सम्मुख निरंतर आने वाली चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण की पृष्ठभूमि में, वाणिज्य विभाग ने भारत से वस्तु निर्यात योजना (MEIS) के तहत कुछ नए उत्पादों को प्रोत्साहन दिया है और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पादों के लिए प्रोत्साहन दर में इजाफा किया है।

VISION IAS

प्रोत्साहन के मुख्य बिंदु

- **नए उत्पादों की वृद्धि**: 2901 अतिरिक्त उत्पाद विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के अंतर्गत जोड़े गए हैं। इसमें शामिल है:
- अश्वगंधा जड़ी और इसका अर्क, अन्य जड़ी बूटी, विभिन्न वस्तुओं के अर्क जैसी पारंपरिक दवाओं के कई मद
- कुछ समुद्री उत्पाद, समुद्री खाद्य वस्तुएँ
- सूखे प्याज, प्रसंस्कृत अनाज उत्पाद और प्लास्टिक की अन्य मूल्यवर्धित वस्तुयें, चमड़े की वस्तुएँ, सूटकेस आदि
- इंजीनियरिंग वस्तुएँ, कपड़े, वस्त्र, रसायन, चीनी मिट्टी, कांच उत्पाद, चमड़े के सामान, समाचार पत्र, पत्रिकायें, रेशम की वस्तुएं, कृत्रिम वस्तुएँ, ऊन उत्पाद, ट्यूब, पाइप आदि सहित विभिन्न श्रेणियों के तहत औद्योगिक उत्पाद।

4.4. परियोजना इनसाइट

(Project Insight)

क्या है यह परियोजना?

- परियोजना इनसाइट, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कर वंचकों का पता लगाकर कर आधार को विस्तृत करने हेतु वित्त मंत्रालय की पहल है।
- हाल के वर्षों में विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाएं आयी हैं। सम्पूर्ण कार्यक्रम अगले वर्ष लागू किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

- परियोजना अनिवार्य रूप से विभिन्न पायलट परियोजनाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के करों के लिए टैक्स-रिटर्न फाइल न करने वालों की निगरानी, बैंको के लिए गैर स्थायी खाता संख्या (पैन) वालों व सब-रजिस्ट्रार इत्यादि द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग करेगी।
- कर विभाग, अनुपालन प्रबंधन के लिए नए केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना भी करेंगे।
- यह परियोजना इनसाइट के माध्यम से प्रारंभिक सत्यापन, सामूहिक पत्रों/ नोटिस का उत्पादन एवं परितुलित जानकारी से उत्पन्न होने वाली अनुवर्ती कार्यवाही को संभालेगा।
- रिपोर्टिंग अनुपालन प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली तृतीय पक्ष रिपोर्टिंग उचित समय पर और सही है।
- यह अन्य सरकारी विभागों के लिए सुव्यवस्थित डेटा विनिमय तंत्र भी स्थापित करेगा।
- यह परियोजना, सरकार द्वारा काले धन को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) का कार्यान्वयन, भारत-मॉरीशस दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन एवं हाल ही में संपन्न आय प्रकटीकरण योजना की सूची में अपना नाम शामिल करती है।

लाभ

- यह एकीकृत मंच, कर आधार को विस्तृत करने एवं कर वंचकों का पता लगाने के लिए डेटा माइनिंग हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- यह कर वंचकों को खोजकर पकड़ लेने की तरह, अहस्तक्षेप के तरीके से पकड़ने में सहायता करेगा।
- यह न केवल स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देगा, बल्कि करदाताओं को आयकर कार्यालय गए बिना ही अनुपालन से संबंधित सामान्य मुद्दों को ऑनलाइन तरीके से समाधान प्राप्त करने में भी सक्षम करेगा।
- विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम अंतर सरकारी समझौते (FATCA IGA) एवं सामान्य रिपोर्टिंग मानक (CRS) के कार्यान्वयन के लिए भी नई तकनीकी अवसंरचना का लाभ उठाया जाएगा।

VISION IAS

5. कृषि

(AGRICULTURE)

5.1. दाल संकट

(Pulses Crises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत पिछले कुछ वर्षों से दालों के संकट से जूझ रहा है। पिछले दो वर्षों में कमजोर मानसून के चलते दालों का उत्पादन काफी कम रहा, जिसके कारण मांग एवं आयत में वृद्धि हुई तथा मूल्य में भी वृद्धि दर्ज की गयी।
- हाल के महीनों में इस कमी का स्थान अधिशेष ने ले लिया है, फलस्वरूप कीमतों में गिरावट दर्ज की गयी। इस प्रकार कभी उपभोक्ताओं तथा कभी किसानों को प्रभावित करने वाले इस उतार-चढ़ाव (दाल की कीमतों में) ने सार्वजनिक नीति निर्धारण करने वालों के समक्ष दुविधाएं पैदा की हैं।
- इस वर्ष के आरम्भ में, इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के अधीन एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने सितम्बर माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महत्वपूर्ण सिफारिशें

- घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसर
- उपभोग की दृष्टि से, दालें अत्यंत शीघ्र औसत भारतीय उपभोक्ता की आहार आदतों का महत्वपूर्ण भाग बनने जा रही हैं। मानक रूप से, यह वांछनीय है क्योंकि औसत भारतीय प्रोटीन एवं दालों का अल्प उपभोग करता है जो कि प्रोटीन के सस्ते स्रोत हैं।
- मांग-आपूर्ति असंगति आयात द्वारा ठीक नहीं की जा सकती है, क्योंकि भारत पहले ही दुनिया में दालों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है।
- विदेशी आपूर्ति घरेलू उत्पादन से सहसम्बद्ध होती है और इस प्रकार दालों में खाद्य सुरक्षा केवल घरेलू उत्पादन को बढ़ा कर प्राप्त की जा सकती है।
- अनाज के विपरीत, दलहन छोटे और सीमांत किसानों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में पैदा किया जा रहा है। दाल उत्पादक किसानों की आय बढाने वाले उच्च समर्थन मूल्य नए निर्वाचक संघ के सृजन में मदद कर सकते हैं जो दालों का समर्थन करने वाली नीतियों के निर्माण हेतु लॉबिंग कर सकें।
- **दालों के लिए लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता**
- दालों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) न केवल किसानों को और अधिक दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों की सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक है।
- केवल लाभकारी MSP किसानो को दालों के उत्पादन की ओर उन्मुख करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उन्हें समर्थन मूल्य/खरीद परिचालनों का भी सहारा मिलना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बाज़ार मूल्य औंधे मुह न गिरे जिससे अगले मौसम में किसान दाल उगाना ही बंद कर दें। इस प्रकार, MSP को बाजार मूल्य के एक आधार के रूप में कार्य करना चाहिए ।

अन्य सिफारिशें

- खरीद की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- दालों में उपज बढ़ाने की जरूरत है। दालों में भारतीय उत्पादकता म्यांमार जैसे अन्य दाल उत्पादक देशों के उत्पादन का लगभग आधा है। GM प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। दालों की देश में ही विकसित नई किस्मों को शीघ्र मंजूरी दें।
- राज्यों को अपनी APMCs से दालों को हटाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कृषि जिंसों के वायदा कारोबार की समीक्षा की जाए ताकि इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
- दालों की खरीद ,भंडारण एवं उन्हें बेचने वाले मौजूदा संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उन्हें पूरित करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) की तर्ज़ पर एक नयी संस्था बनायी जानी चाहिए

चिंताएं

दालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली फसलों के उत्पादन पर सामान्य संतुलन प्रभाव। यह तीन तरीकों से न्यून किया जा सकता है:

VISION IAS

- सर्वप्रथम , मध्यम अवधि में दालों के उत्पादन को पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ धान उत्पादन में सीमित कमी सामाजिक रूप से वांछनीय है। इस क्षेत्र में धान के भण्डार उच्च रहे हैं और इस क्षेत्र में धान की खेती की कई नकारात्मक बाह्यताएं (externalities) भी देखी गयी है।
- दूसरा, दलहन उत्पादन को पूर्वी भारत के अंचलों में भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- तीसरा, दालों तथा कपास जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों की उत्पादकता और उपज में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित कर प्रतिकूल परिणामों को भी कम किया जा सकता है।

उच्च मुद्रास्फीति: पैनल मुद्रास्फीति प्रभाव को खारिज करता है क्योंकि अनाजों के विपरीत दाल हेतु MSP को मूल्य समर्थन के तौर पर प्रदान किया जाता है, ऐसे में खरीद केवल प्रतिकूल दशाओं में की जाएगी।

5.2. सरकार द्वारा दालों के बफर स्टॉक में वृद्धि

(Government Raises Buffer Stock of Pulses)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दालों की बफर स्टॉक सीमा को दोगुने से अधिक बढ़ा कर उसे 8 लाख टन से 20 लाख टन करने के फैसले को फैसले को मंजूरी दे दी।

महत्व

- दालों की खुदरा कीमतों में उछाल के मामले में सरकार के हस्तक्षेप और नियंत्रण तथा मांग एवं आपूर्ति के बीच बार-बार आने वाले अंतर की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी ।
- बफर स्टॉक में वृद्धि कर इसे घरेलू खपत के कम-से-कम 10% तक लाने में मदद मिलेगी ।
- दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए घरेलू किसान प्रोत्साहित होंगे।
- यह कदम जमाखोरों को भंडारण करने से रोकेगा और दालों के मूल्यों में कृत्रिम उछाल से राहत मिलेगी।

साधन

- 'मूल्य स्थिरीकरण कोष' योजना के माध्यम से वित्तीयन।
- केंद्रीय एजेंसियों (FCI, NAFED और SFAC) या राज्य सरकारों द्वारा खरीद।
- बाजार मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में जो भी उच्च है उसके आधार पर खरीद।
- 20 लाख टन के बफर स्टाक में 10 लाख टन की घरेलू खरीद शामिल होगी और शेष भाग विभिन्न सरकारों के मध्य होने वाले अनुबंधों तथा वैश्विक बाज़ार से तात्कालिक खरीद द्वारा पूरा किया जाएगा।

5.3.AIBP के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

(Central Assistance Under AIBP)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के अंतर्गत 99 प्राथमिकता प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है।
- यह राशि गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना राज्य की 50 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है।
- इन सिंचाई परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए इन राज्यों के सूखा प्रभावित जिले सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही इनका उद्देश्य किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सीमित करना भी है।
- पहचानी गई 99 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए वित्त मंत्री, मंत्री (WR,RD एवं GR), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलकर बनी एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (HLEC) का गठन किया गया है।

VISION IAS

- HLEC प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत अन्य घटकों की भी निगरानी करेगी और मध्यकालिक सुधार के लिए नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

पृष्ठभूमि

- लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से आधे से भी कम केवल लगभग 64 लाख हेक्टेयर के लिए सुनिश्चित सिंचाई की उपलब्धता है। शेष अभी भी वर्षा जल पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, यहां तक कि समग्र सिंचित भूमि में भी, लगभग 60 प्रतिशत भूजल की पंपिंग पर आधारित है जो अधिकांश राज्यों में किसानों को दी जा रही निशुल्क या अत्यधिक रियायती दर पर बिजली से समर्थित हैं, इसके कारण तेजी से घट रहे महत्वपूर्ण संसाधन पर और दबाव पड़ रहा है।

चिंता के क्षेत्र

- इन परियोजनाओं के अपूर्ण बने रहने का एक प्रमुख कारण केंद्र सरकार द्वारा अपर्याप्त धन का विमोचन है।
- अन्य मुद्दों में अधिकांश परियोजनाओं में समय और लागत का बढ़ जाना, भूमि अधिग्रहण में समस्या और कुछ स्थानों पर सुरंगों के निर्माण जैसी तकनीकी कठिनाइयां सम्मिलित हैं।
- परियोजनाओं के सरकारी सर्वेक्षण से उपयोग में अंतराल का पता चला है - सृजित सिंचाई क्षमता और वास्तव में सिंचित क्षेत्र के बीच अंतर 25 से 55 प्रतिशत के बीच है। इसका अर्थ है कि ये परियोजनाएं अपनी क्षमता की तुलना में काफी हद तक कम क्षेत्र और काफी कम संख्या में किसानों की सेवा कर रही हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत समर्पित सिंचाई कोष बनाया गया है, जिसे पैसे उधार लेने के लिए कर मुक्त बंधपत्र जारी करने के लिए कहा गया है।
- बजट के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए का आरंभिक कोष पहले ही स्थापित किया जा चुका है जिसका नाबार्ड बाजार से आगे और पैसे जुटाने के लिए लाभ उठा सकता है।
- सरकार ने अब केंद्रीय जल आयोग और अन्य एजेंसियों को प्रतिवर्ष 143 पूर्ण परियोजनाओं में से 50 परियोजनाएं ग्रहण करने और उनकी क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए कहा है।
- इनमें से प्रत्येक परियोजना में अब जल उपयोगकर्ता संघ होंगें जो तय करेंगें कि किस प्रकार प्रत्येक् दावेदार के लिए पानी वितरित किया जाए।

आगे की राह

परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए उनकी ऑनलाइन निगरानी के साथ ही भौतिक निगरानी का भी प्रावधान होना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और लघु भूतल सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ERM) सहित चल रही बड़ी/मध्यम सिंचाई (MMI) परियोजनाओं के पूरा होने में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) का शुभारंभ किया था।

5.4. कृषि विपणन और कृषि अनुकूल सुधार सूचकांक

(Agricultural Marketing and Farm Friendly Reforms Index)

यह क्या है?

- नीति आयोग ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के श्रेणीकरण के लिए पहली बार "कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक" का शुभारंभ किया है।

केंद्र सरकार ने पहली बार 2003 में APMC अधिनियम के माध्यम से APMC या थोक बाजार (मंडियों) में सुधारों का, राज्यों से इसे अपनाने का आग्रह करते हुए शुभारंभ किया था, क्योंकि कृषि विपणन संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है।

विशेषताएं और रैंकिंग

- आकलन करने के लिए प्रयुक्त संकेतक कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और पारदर्शिता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- यह रैंकिंग मॉडल APMC अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित सात प्रावधानों के कार्यान्वयन, इस पहल में सम्मिलन, विपणन के लिए फल और सब्जियों के लिए विशेष उपचार और मंडियों में करों के स्तर पर आधारित हैं।
- सूचकांक में सम्मिलित अन्य मानक पट्टेदार किसानों के लिए कृषि भूमि के पट्टे से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और अपनी भूमि के पेड़ काटने और ढोने की किसानों की स्वतंत्रता है, जो उनके लिए अपनी आय में विविधता लाना संभव बनाती है।
- इस सूचकांक में "0" जिसका तात्पर्य चयनित क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं है से लेकर"100" जिसका तात्पूर्य चयनित क्षेत्रों में पूर्ण सुधार है, के मान तक स्कोर हैं और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचकांक में स्कोर के संदर्भ में श्रेणीबद्ध किया गया है।
- महाराष्ट्र ने विभिन्न सुधारों के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त किया है क्योंकि इसने अधिकांश विपणन सुधारों का कार्यान्वयन कर लिया है और कृषि व्यवसाय करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करता है।
- गुजरात दूसरे स्थान पर है जिसके निकट ही राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
- दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बाद पुडुचेरी को सबसे निचला स्थान मिला है।
- उ.प्र., पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर सहित लगभग दो तिहाई राज्य सुधार स्कोर के आधे अंक तक भी नहीं पहुंच सके हैं।
- कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो APMC अधिनियम को अपनाया नहीं या इसे रद्द कर दिया है। इनमें बिहार, केरल, मणिपुर, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार सम्मिलित हैं। इन्हें रैंकिंग में नहीं सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित कृषि सुधार

- नीति आयोग ने भी कृषि सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जो आधुनिक व्यापार और वाणिज्य से लाभान्वित होने के लिए किसानों के लिए कृषि व्यापार की सुगमता के साथ ही अवसर प्रकट करते हैं और जिनमें अपने उपज की बिक्री के लिए व्यापक विकल्प है।
- ये सुधार हैं:

✓ **कृषि बाजार सुधार:** ताकि कृषि से अर्जित हो सकने वाले लाभों का सर्वोत्तम संभव सुधार सुनिश्चित करने वाले विपणन सिद्धांतो का अंगीकरण करके दोहन किया जाए।

✓ **भूमि पट्टा सुधार:** कृषि भूमि पट्टे पर लेने और देने से संबंधित प्रतिबंधों में छूट और काश्तकार को मान्यता प्रदान करने और भूस्वामी के 'उदारीकरण की रक्षा के लिए कानून में परिवर्तन।

✓ **निजी भूमि पर वानिकी से संबंधित सुधार-पेड़ों की कटाई और पारगमन:** ये सुधार किसानों की आय के संपूरण में कृषि वानिकी की अप्रयुक्त संभावनाओं पर बल देते हैं। ये सुधार कृषि व्यापार में विविधता लाने के लिए निजी भूमि पर उगाए गए पेड़ों की कटाई और पारगमन के लिए भी किसानों को दी गई स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

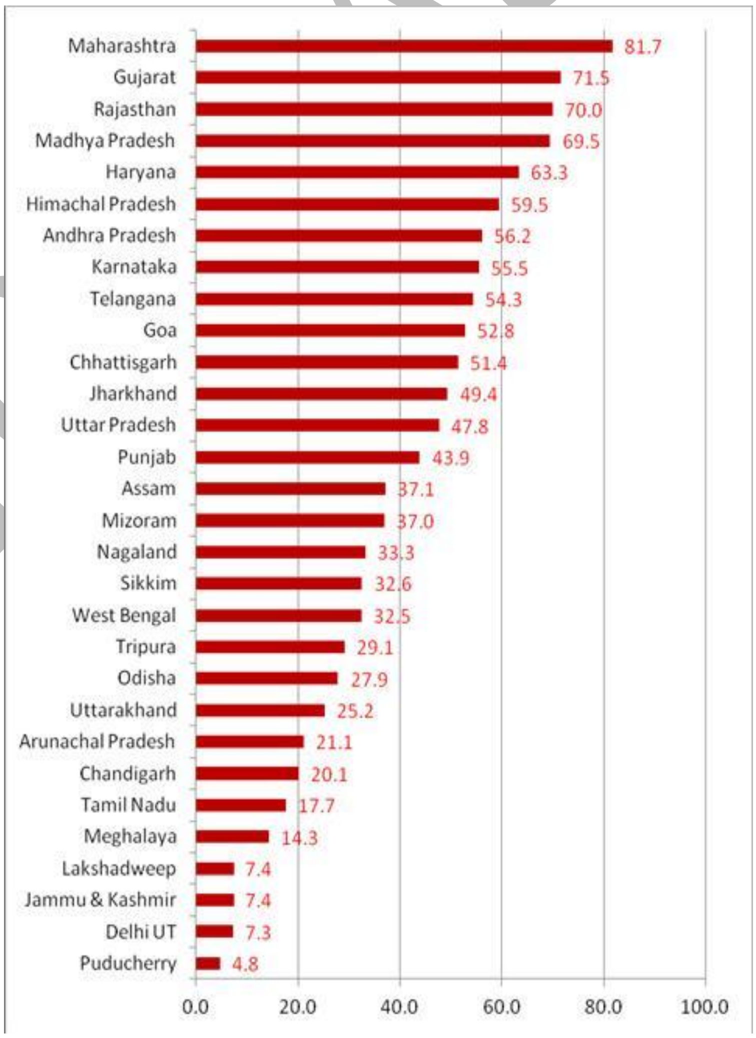

आगे की राह

- राज्य मापदंड के रूप में इस सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं और उन संकेतकों पर सुधार ला सकते हैं जहां वे पीछे रह गए हैं क्योंकि इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में समस्याओं की पहचान करने और समाधान करने में उन राज्यों की सहायता करना है, जो कम वृद्धि, कम आय और कृषि संकट से ग्रस्त हैं।

- राज्यों को इन उल्लिखित सुधारों के अंगीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की पूरी मरम्मत करना है, जो अंततः किसानों के लिए लाभप्रद होगा।

5.5. कृषि विकिरण केंद्र

(Agro Irradiation Centers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और रूस ने भारत में एकीकृत विकिरण केंद्रों की स्थापना में सहयोग करने के लिए सहमति जताई है।
- पहले चरण में, महाराष्ट्र में सात केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनका अहमदनगर जिले में राहुरी पर वर्तमान केन्द्र के उन्नयन के साथ शुभारंभ होगा।

यह क्या है?

- कृषि विकिरण केंद्र वह केंद्र है जहां खाद्य उत्पादों को कीटाणुओं और कीड़ों से मुक्त करने के लिए कम मात्रा में विकिरण से गुजारा जाता है जिससे उनकी दीर्घायुता और शेल्फ जीवन में वृद्धि होती है।

महत्व

- भारत में खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों में फसल कटाई उपरांत हानि काफी अधिक है जो लगभग 40-50% है। ऐसा मुख्य रूप से कीटों के प्रकोप, जीवाणुतत्व-संबंधी संदूषण(microbiological contamination), अंकुरण और पकने के कारण भौतिक परिवर्तन और निम्न शेल्फ जीवन के कारण है। इसे विकिरण द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
- विकिरण की मात्रा की अनुशंसा IAEA करता है और अंतिम उत्पाद पूर्णतया सुरक्षित होता है। इससे खाद्य उत्पाद के पोषण मान में कमी नहीं आती है और उनके आर्गेनोलेप्टिक गुणों या रंगरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

5.6. कृषि उपज में विकल्प

(Options in Agricultural Produce)

चर्चा में क्यों?

सेबी ने हाल ही में कृषि उपज सहित चयनित वस्तुओं में विकल्प व्यापार की अनुमति प्रदान की है।

यह क्या है?

विकल्प एक वित्तीय व्युत्पन्न होता जिसमें एक पक्ष अपना अनुबंध दूसरे पक्ष को बेचता है, जिसमें बेचनेवाला पक्ष खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य और तिथि पर प्रतिभूति खरीदने या बेचने का अधिकार, लेकिन बाध्यता नहीं, प्रदान करता है।

समीक्षा

- किसानों के लिए सुरक्षा क्योंकि सरकार द्वारा केवल गेहूं, चावल और गन्ने के लिए निश्चित कीमतें निर्धारित की जाती हैं इसलिए वे स्थिर मूल्य व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।
- फिर भी, इन निश्चित कीमतों का राज्यों के बीच असमान प्रभाव रहा है।
- उपभोक्ता वरीयताओं में परिवर्तन और कीमतों में अंतर होने की स्थिति में, किसानों को शुद्ध घाटे का सामना करना पड़ता है।
- ऐसी स्थिति में, चाहे सरकारी एजेंसियां किसान के क्षेत्र में उक्त मौसम की खरीद कर रही हों या नहीं, विकल्प किसानों को भविष्य की कीमतें निर्धारित करने का अवसर देता है।
- इसके अतिरिक्त, विकल्प किसानों को भविष्य में खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। इसलिए, निर्णय लेने में लचीलापन है।

चिंताएं

- इस बात को लेकर चिंता है कि यदि सट्टेबाज व्यापार पर हावी होते हैं, तो कीमतों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
- वायदा व्यापार के साथ हुए अनुभव को देखते हुए, जहां गुटबंदी और कीमतों में हेराफेरी ने वृहद् स्तर पर सट्टेबाजी का मार्ग प्रशस्त किया, (सेबी को वास्तव में चने में नए अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा और अरंडी से चुनिंदा हितधारकों को प्रतिबंधित करना पड़ा था) आवश्यक वस्तुओं में विकल्पों के शुभारंभ का प्रभाव सावधानीपूर्वक देखने की आवश्यकता है।

- यह समझना कठिन है कि किसान, जो काफी अलग-थलग होते हैं और छोटी, तुच्छ मात्रा में अपनी उपज का सौदा करते हैं, किस प्रकार विकल्प व्यापार के गुर में प्रवीणता प्राप्त करेंगे।

आगे की राह

- किसानों द्वारा स्वयं को उत्पादक कंपनियों या सहकारी समितियों में संगठित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अपनी उपज को एकत्र करने और कीमतों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करने में सहायता मिलेगी।
- अनभिज्ञ किसान की तुलना में इस प्रकार के संगठन व्युत्पन्नों का व्यापार (trade in derivatives) करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
- NAM में खोजी गई कीमतों पर आधारित विकल्प व्यापार मध्यस्थों के हस्तक्षेप के बिना किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए हाजिर कीमतों की निष्पक्ष खोज के लिए आगे बढ़ने का सही तरीका होता।

6. औद्योगिक नीति एवं संबंधित मुद्दे

(INDUSTRIAL POLICY AND ASSOCIATED ISSUES)

6.1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष-शून्य प्रभाव योजना आरंभ

(National SC/ST Hub and Zero Defect-Zero Effect Scheme Launched)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (MSME) के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति केंद्र और शून्य दोष, शून्य प्रभाव योजना का शुभारंभ किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति केंद्र

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति केंद्र का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना और उनके बीच उद्यम संस्कृति और उद्यमशीलता का संवर्धन करना है।
- यह, बाजार उपलब्धता/संपर्क, क्षमता निर्माण, निगरानी मजबूत बनाने, उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियां साझा करने और वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ उठाने की दिशा में काम करेगा।
- इससे सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों[Central Public Sector Enterprises (CPSEs)] के लिए सरकार द्वारा निर्धारित खरीद लक्ष्य पूरा करना संभव होगा। सार्वजनिक खरीद नीति 2012 कहती है कि मंत्रालयों विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा की जाने वाली 4 प्रतिशत खरीद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से करना होगा।
- मंत्रालय ने इस केंद्र के लिए 2016-2020 की अवधि के लिए 490 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन कर दिया है।

शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED) योजना

- ZED योजना का उद्देश्य स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करने के लिए सभी MSMEs की श्रेणी निर्धारित करना और उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इसमें प्रत्येक उद्योग के लिए क्षेत्रक विशिष्ट मानक होंगे।
- 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शून्य दोष, शून्य प्रभाव (ZED) नारे का पहली बार उल्लेख किया गया था। यह नारा पर्यावरण पर अल्पतम नकारात्मक प्रभाव के साथ उच्च गुणवत्ता वाले विनिर्माण उत्पादों के उत्पादन के लिए दिया गया था।
- यह योजना केन्द्र सरकार की फ्लैगशिप योजना मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी आधारशिला बनेगी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, रोजगार सृजन करना, विकास को बढ़ावा देना और आय बढ़ाना है।
- इसके अतिरिक्त, इससे स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों के विकास और कार्यान्वयन का संवर्धन होगा।

6.2. अमेरिका को पीछे छोड़ भारत बनेगा कोयला का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक

(India to Surpass the US as the Second Largest Coal Producer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

BMI अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2020 तक चीन के बाद **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक** होगा। इस प्रकार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ देगा।

पृष्ठभूमि

- भारत में 61% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। इसलिए भारत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के **घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर** ईंधन के **आयात** को कम करने का प्रयास कर रहा है।
- कोल इंडिया लिमिटेड भारत के कुल कोयला उत्पादन के लगभग 80% कोयले का उत्पादन करता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2016 के 9.8% से बढ़कर 2020 तक 12.7% होने का अनुमान है।
- भारत कोयले के उत्पादन को लगभग 634 मिलियन टन से बढ़ाकर 2020 तक 1.5 बिलियन मीट्रिक टन करने की योजना बना रहा है।

 ©Vision IAS

- भारत में कोयले की वर्तमान कमी (वर्ष 2016 में) 191 मिलियन टन की है। वर्ष 2020 तक इसे घटा कर 163 मिलियन टन तक करने की योजना है।

समस्याएँ

- देश तब भी सरकार का महत्वाकांक्षी कोयला उत्पादन लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा और कोयले की बढ़ती घरेलू मांग के कारण 2020 तक उत्पादन भी बढ़ता रहेगा।
- वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्रक को खोलने में देरी के कारण इसके विस्तार लक्ष्य में भी चूक हो सकती है।
- कोयले के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले भारत के इस प्रयास के कारण प्रदूषण, भूमि क्षरण इत्यादि जैसी पर्यावरण सम्बन्धी परेशानियों के उत्पन्न होने की सम्भावना है।

आगे की राह

- वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को प्रभावशाली तरीके से खोला जाना चाहिए ताकि मांग और आपूर्ति में कोई असंतुलन न हो।
- भारत को प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, इत्यादि जैसे स्वच्छ ईंधन विकल्पों से संबंधित प्रौद्योगिकियों में नवोन्मेष करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण सम्बन्धी परेशानियाँ जितनी तेजी से आवश्यकता है उतनी तेजी से कोयले के उत्पादन को बढ़ाने से देश को रोक सकती हैं।

6.3. खनन निगरानी प्रणाली (MSS)

(Mining Surveillance System [MSS])

सुर्ख़ियों में क्यों?

विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान के केंद्रीय राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में खनन निगरानी प्रणाली (MSS) आरंभ की है।

यह क्या है?

- MSS एक उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है जिसे भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG), गांधीनगर और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के सहयोग से इंडिया ब्यूरो ऑफ़ माइंस (IBM) के माध्यम से खान मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विश्व में विकसित सबसे पहली निगरानी प्रणालियों में से एक है।
- अवैध खनन गतिविधियों की निगरानी की वर्तमान प्रणाली स्थानीय शिकायतों और अपुष्ट जानकारी पर आधारित होती है, जहाँ ऐसी शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रखने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
- ऐसी परिस्थिति में, MSS का उद्देश्य ऑटोमैटिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अवैध खनन गतिविधि की घटनाओं को रोककर लोगों की भागीदारी के माध्यम से उत्तरदायी खनिज प्रशासन की स्थापना करना है।

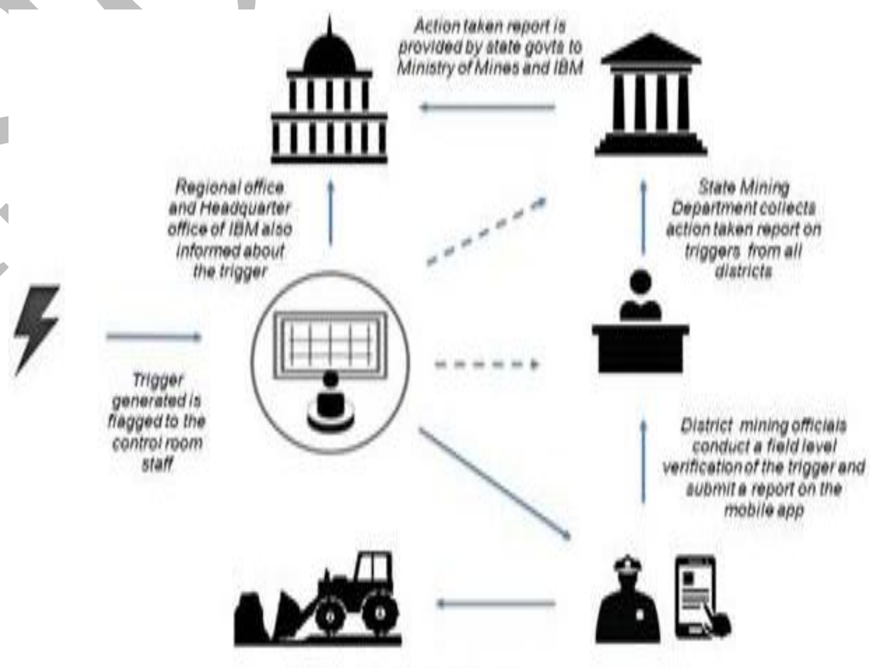

Fig: Flowchart of MSS Protocol

इस प्रणाली का संचालन

- MSS में, खनन पट्टों के मानचित्र भू-संदर्भित होते हैं और उन्हें CARTOSAT एवं USGS (यूनाइटेड स्टेट्स जियोलाजिकल सर्वे) से प्राप्त नवीनतम उपग्रह रिमोट सेंसिंग दृश्यों पर अध्यारोपित किया जाता है।
- इससे संचालन में अवैधता की जांच की जाती है और एक यूजर-फ्रैंडली मोबाइल ऐप का उपयोग करके उसकी खबर दी जाती है। ऐप को लोगों की भागीदारी को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया है अर्थात् उपयोग को सरल रखा गया है ताकि नागरिक किसी अवैध खनन गतिविधि की खबर देने के लिए इसका उपयोग कर सकें।
- एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, एक निर्णय समर्थन प्रणाली (decision support system) की भांति कार्य करता है जिसका उपयोग करके अधिकारी देश के प्रमुख खनिज खनन पट्टों के संबंध में इन खनन पट्टों के मानचित्रण की वर्तमान स्थिति, ट्रिगर के कारणों, और उत्पन्न ट्रिगर से संबंधित निरीक्षणों की स्थिति, लगाए जाने वाले जुर्माने आदि पर नजर रख सकते हैं।

(चित्र का स्रोत: PIB न्यूज)

लाभ

- कर्नाटक जैसे राज्यों को, जहाँ अतीत में अवैध खनन की घटनाएं बार-बार सामने आई हैं, निम्नलिखित तरीके से इस प्रौद्योगिकी से लाभ होगा।

✓ इससे पारदर्शिता आएगी क्योंकि आम लोग इस प्रणाली का उपयोग कर सकेंगे।
✓ यह एक पक्षपात-रहित और स्वतंत्र प्रणाली है क्योंकि इसमें कम से कम मानव हस्तक्षेप की गुंजाइश है।
✓ जल्द प्रतिक्रिया और कार्रवाई इसकी मुख्य विशेषता है क्योंकि खनन क्षेत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी जिसका एक निवारक प्रभाव भी पड़ेगा।
✓ ट्रिगर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही (फॉलो-अप)

6.4. वाराणसी में ऊर्जा गंगा का शुभारंभ

(Urja Ganga Launched in Varanasi)

ऊर्जा गंगाः एक परिचय

- अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के वाराणसी में ऊर्जा गंगा नामक अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन परियोजना की नींव रखी है।
- इसका लक्ष्य देश के पूर्वी क्षेत्र के निवासियों को पाइप्ड कुकिंग (PNG) गैस और वाहनों के लिए CNG गैस उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं

- इस परियोजना के तहत 2018 तक जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) को जोड़ने वाली एक 2,050 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन बिछाने की परिकल्पना की गई है। इसमें पांच राज्य होंगेः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
- इस परियोजना को राज्य संचालित गैस यूटिलिटी GAIL द्वारा लागू किया जा रहा है।
- इस परियोजना के तहत GAIL के मौजूदा लगभग 11,000 कि.मी. लम्बे ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क में 2540 कि.मी. तक वृद्धि की जाएगी।
- सात पूर्वी भारतीय शहार यानी वाराणसी, जमशेदपुर, पटना, रांची, कोलकाता, भुबनेश्वर, कटक इस नेटवर्क विकास के प्रमुख लाभार्थी होंगे।

महत्व

- इस परियोजना को भारत के पूर्वी क्षेत्र की सामूहिक वृद्धि और विकास की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत, कुल मिलाकर 20 लाख घरों में PNG कनेक्शन की सुविधा मिलेगी।
- वाराणसी के दृष्टिकोण से, 50,000 घरों और 20,000 वाहनों को क्रमशः अधिक साफ़ और अधिक सस्ता ईंधन और CNG गैस मिलेगी।
- इसके अलावा, धामरा का LNG टर्मिनल पूर्वी राज्यों - उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा - के औद्योगिक विकास के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करेगा।
- इस पाइपलाइन से गैस का इस्तेमाल करके इन 5 राज्यों में 25 औद्योगिक संकुलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना से 40 जिलों और 2600 गाँवों को लाभ होगा।

VISION IAS

- इससे गैस की आपूर्ति से बिहार में बरौनी में, यूपी में गोरखपुर में, झारखण्ड में सिंदरी में और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में निष्क्रिय उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार करने में भी मदद मिलेगी।
- इससे वाराणसी में मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाटों सहित अन्य श्मशान भूमियों में प्राकृतिक गैस आधारित शवदाहगृह की व्यवस्था करने में भी मदद मिलेगी। यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा।

6.5. किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

(DBT for Kerosene)

इसके संबंध में

- LPG/रसोई गैस के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की योजना के बाद सरकार किरोसिन (मिट्टी का तेल) के लिए भी प्रत्यक्ष DBT लांच करने की योजना बना रही है।
- इसने इस प्रक्रिया को झारखण्ड के चार जिलों में एक पायलट कार्यक्रम के माध्यम से आरम्भ किया है।
- DBTK योजना के अंतर्गत, PDS किरोसिन को गैर-सब्सिडी युक्त मूल्य पर बेचा जा रहा है, एवं, सब्सिडी, स्वीकार्य होने पर, सीधे उपभोक्तओं के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।
- सरकारों की इस पहल का लक्ष्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, सब्सिडी चोरी में कटौती करना एवं प्रशासनिक लागतों को कम करना है। यह, इस प्रकार, सभी हितधारकों को लाभ पहुँचाना चाहती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- सुव्यवस्थित और एकीकृत डिजिटल उपभोक्ता डेटाबेस का अभाव: रसोई गैस के सभी उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्रक की तेल विपणन कंपनियों के अंतर्गत थे, जिससे उपभोक्ता डेटा संकलित करना सरल हो गया था। हालांकि, किरोसिन के मामले में उपभोक्ता डेटा अपने राज्यों के पास उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप में उपलब्ध है। इस प्रकार विशेष रूप से गैर-डिजीटलीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लाभार्थी डेटाबेस के मामले में, राज्य स्तरीय कर्ताओं की बड़ी संख्या के बीच समन्वय का प्रकरण बाधाएँ उत्पन्न कर सकता है।
- केंद्र और राज्यों के बीच अंतर: यद्यपि केंद्र सब्सिडी के वित्तीय प्रभाव को प्रतिसंतुलित करता है, किन्तु लाभार्थियों और सब्सिडी की मात्रा का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है। यह राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा है। इस प्रकार इसके सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों को इस विचार के अनुरूप होना चाहिए।
- डीजल और सब्सिडी-रहित किरोसिन के बीच मूल्य का अंतर अभी भी इतना अधिक होगा कि यह दलालों को इस ईंधन को डीजल के विकल्प के रूप में उपयोग करने हेतु इसकी आपूर्ति का मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त होगा।
- दूसरी चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि यह सब्सिडी प्रमुख लाभार्थियों अर्थात् गरीब घर-परिवारों तक पहुँचे। वर्तमान में, दूरदराज के स्थानों में बैंक शाखाएँ सरलतापूर्वक उपलब्ध नहीं हैं, परिणामस्वरूप बैंक से धन आहरण की लागत बढ़ जाती है।

आगे की राह

- अध्ययनों से पता चलता है कि किरोसिन मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में प्रकाश उत्पन्न करने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। 1 प्रतिशत से कम लोग ही इसका प्रयोग भोजन पकाने के प्रमुख ईंधन के रूप में करते हैं।
- इस प्रकार, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा चालित समाधानों एवं भोजन पकाने के लिए रसोई गैस का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दीर्घावधि में यह सरकार और साथ ही साथ घर-परिवारों दोनों ही के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी होगा।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) **विगत वर्षों में**

मुख्य परीक्षा **2015**

Q. मूल्य सब्सिडी का प्रतिस्थापन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से करने से भारत में सब्सिडी से संबंधित परिदृश्यों में क्या परिवर्तन हो सकेगा? चर्चा कीजिए।

VISION IAS

7. विदेशी निवेश

(FOREIGN INVESTMENT)

7.1. चालू खाता अधिशेष की स्थिति

(Current Account Moves into Surplus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

9 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का चालू खाता चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अधिशेष की स्थिति में आ गया।

चिंताएं

- चालू खाता अधिशेष से यह अपेक्षित है कि वह रुपए को संभालेगा जो भारत के पहले से ही मंद निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में और कमी ला सकता है।
- आयात में मंद वृद्धि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेत है क्योंकि यह कमज़ोर निवेश मांग को दर्शाती है जिसका कारण यह है कि भारतीय फर्मों को विदेशों से पूंजीगत वस्तुएँ और यन्त्र खरीदने की आवश्यकता पड़ती है।

विश्लेषण

- भारत के चालू खाता घाटा (CAD) में सोने और कच्चे तेल के आयात का प्रमुख योगदान रहा है।
- लम्बी अवधी तक रहने वाले CAD के कारण मुद्रा का अवमूल्यन हुआ तथा महंगाई की दर उच्च रही, जिससे विदेशी निवेश प्रभावित हुआ।
- हाल के समय में सोने के आयात में हुई गिरावट और कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई कमी ने इस घाटे को कम कर दिया है।
- एक चालू खाता अधिशेष का अर्थ है एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का निर्यात,आयात की तुलना में अत्यधिक है।
- चालू खाता अधिशेष की स्थिति में क्या होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट सिद्धांत या नियम नहीं हैं। यह चालू खाते के आकार और चालू खाते के अधिशेष के कारणों पर निर्भर करता है।
- भारत के सन्दर्भ में, आयात में मंद वृद्धि (जो निवेश की भावना में व्याप्त निरंतर कमजोरी को दर्शाती है) इसके पीछे प्रमुख कारण है।
- पिछली बार वर्ष 2007 में जनवरी-मार्च तिमाही में चालू खाता अधिशेष की स्थिति थी।

7.2. FDI संवर्द्धन : विदेशी निवेशकों के लिए स्थायी निवास का दर्जा

(FDI Promotion: Permanent Residency Status for Foreign Investors)

- भारत ने, न्यूनतम निवेश और रोजगार सृजन के संबंध में कुछ निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले विदेशी निवेशकों को स्थायी निवास का दर्जा (Permanent Residency Status: PRS) देने का निर्णय लिया है।
- यह योजना PRS स्थिति की अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों और उनके परिवारों को, उनके प्रवास के दौरान बिना किसी शर्त के, अधिकतम 20 साल तक देश में बहु प्रवेश की अनुमति देगी।
- लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता से छूट और रहने के लिए एक आवासीय संपत्ति खरीदने का अधिकार भी दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विदेशी निवेशकों को 18 महीने के भीतर 10 करोड़ रुपये या 36 महीने के भीतर 25 करोड़ का ऐसा न्यूनतम निवेश करना होगा जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 निवासी भारतीयों के लिए रोजगार का सृजन हो।
- PRS पहले 10 साल के लिए आवंटित होगा जिसकी समीक्षा अतिरिक्त 10 साल के लिए की जा सकती है, अगर PRS धारक के खिलाफ कोई प्रतिकूल सूचना ना हो।
- यह योजना दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पसंदीदा स्थलों सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की इसी तरह की अन्य योजनाओं के समान है।

VISION IAS

8. अवसंरचना

(INFRASTRUCTURE)

8.1. सुस्त सड़क परियोजनाएं

(Languishing Road Projects)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:
- NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा 4,860 किमी लंबाई वाले कुल 46 परियोजनाओं की पहचान की गयी है, जिनकी कुल परियोजना लागत 51338 करोड़ रुपये है, जो सुस्त पड़े हैं।
- इन 46 में से 27 परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान कर दिया गया है, जबकि 19 परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का अभी समाधान किया जाना शेष है।

परियोजना में देरी के लिए उत्तरदायी कारक

- **रियायतग्राही के साथ समता का अभाव (Lack of equity with the concessionaire):** इससे परियोजना के पूर्ण होने की तारीख में देरी होती है। इसलिए बैंक स्वीकृत ऋण का भी संवितरण नहीं करते हैं।
- **फंड्स का दिक्परिवर्तन (डाइवर्जन ऑफ़ फंड्स):** कार्य की भौतिक प्रगति सामान्यतया वित्तीय प्रगति के अनुरूप नहीं होती है। परिणामस्वरुप रियायतग्राही को फंड्स के डाइवर्जन में कठिनाई आती है।
- भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण/वन मंजूरी / उपयोगिता स्थानांतरण / ओवर ब्रिज सड़कों आदि के लिए आवश्यक **विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने में कठिनाई।**
- **टोल/वार्षिकी (एन्युटी) पर NHAI के अधिकार को स्वीकार करने से बैंकों की मनाही:** BOT (टोल/एन्युटी) मोड वाले किसी सुस्त राजमार्ग परियोजना, जिनका कम-से-कम 50 प्रतिशत भौतिक कार्य पूरा हो चूका है, के लिए NHAI टोल/एन्युटी प्राप्तियों पर सबसे पहले शुल्क वसूलने की शर्त पर उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हालांकि, बैंकों ने NHAI के टोल/एन्युटी प्राप्तियों पर इस सर्वप्रथम शुल्क वसूलने की नीति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, फलतः इन सुस्त परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी नीति के कार्यान्वयन में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।
- **राजस्व संग्रह की लंबी अवधि:** सामान्यतया ऐसी परियोजनाओं से राजस्व वसूली में 20 से 30 वर्षों का समय लग जाता है, लेकिन परियोजना ऋण की अवधि 10 से 15 वर्षों की ही होती है। अतः कई बार इसे टिकाऊ तरीका नहीं समझा जाता है।
- **निर्माण के दौरान ब्याज की उच्च लागत:** रियायतग्राही (concessionaire) या प्राधिकरणों अथवा अन्य किसी कारण से होने वाली देरी के चलते निर्माण की लागत में वृद्धि आ जाती है, जिससे कर्ज की लागत में वृद्धि होती है और अंततः इससे उक्त परियोजना अलाभकारी बन जाता है।
- अवरुद्ध परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाई।
- डेवलपर्स के अति ऋण वाले बैलेंस शीट।
- वित्तीय संस्थाओं की मौजूदा सड़क अवसंरचना ऋण पोर्टफोलियो पर दबाव।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अनसुलझे मुद्दों पर अध्ययन करने के लिए कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- हाईब्रिड एन्युटी मॉडल का आरंभ।
- बोली प्रक्रिया के दौरान तय मानकों के संबंध में अब उक्त परियोजना के प्रीमियम का पुनर्निर्धारित किया सकता है।
- सामंजस्यपूर्ण ढंग से वित्तीय रूप से दबावग्रस्त परियोजना के संदर्भ में किसी रियायतग्राही को दूसरे विकल्पों को अपनाने की अनुमति देने के संबंध में सरकार की नीति।
- वन विभाग की मंजूरी से पर्यावरण मंजूरी का अलग किया जाना।
- कॉन्ट्रैक्ट (अनुबंध) प्राप्त करने वाली कंपनी द्वारा निर्माण कार्य पूरा होने के 2 वर्षों के उपरांत 100% डाईवेस्टमेंट (विनिवेश अर्थात् निवेश को बेचने की प्रक्रिया) की अनुमति दिए जाने के संबंध में अपनाई गई नीति। यह बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) मॉडल के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं के लिए लागू है।

VISION IAS

- सरकार सभी हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श कर रही है कि वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और चर्चा के उपरांत आगे की राह के तौर पर एक व्यावहारिक रास्ता निकालने पर ध्यान दे रही है।

8.2. भारत का पहला तटीय आर्थिक गलियारा (कोस्टल इकॉनोमिक कॉरिडोर)

(India's First Coastal Economic Corridor)

इस तटीय आर्थिक गलियारे के बारे में

- भारत ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन से पश्चिम बंगाल तक अपने पहले **ईस्टर्न कोस्ट इकॉनोमिक कॉरिडोर (ECEC) (पूर्वी तट आर्थिक गलियारा)** के निर्माण की योजना तैयार कर ली है।
- इस परियोजना के एक भाग के रूप में, हाल ही में, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने विशाखापट्टनम और चेन्नई के बीच औद्योगिक गलियारे (विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर: VCIC) के निर्माण के लिए 631 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी प्रदान की।
- इस निधि की मदद से 2,500 किलोमीटर वाले ECEC के 800 किलोमीटर के प्रथम प्रमुख खंड को विकसित करने में सहायता मिलेगी। शेष 215 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इसके पीछे निहित विचार में न सिर्फ नए बंदरगाहों का निर्माण करना या पुराने का उन्नयन करना शामिल है, अपितु इसके द्वारा पूरे औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊँचाई प्रदान करना है, जिसमें अनेक पत्तन सम्मिलित होंगे।
- ADB के इस ऋण की सहायता से सरकार को एक कुशल कार्यबल तैयार करने और अनुकूल व्यापार नीतियों के साथ-साथ अत्याधुनिक तकनीक वाले औद्योगिक क्लस्टरों, सड़क, कुशल परिवहन, विश्वसनीय जल और विद्युत आपूर्ति आदि की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

तटीय आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन: CEZs)

- तटीय अवस्थिति कंपनियों को दुनिया के बाजारों में अपने व्यवसायों के निर्बाध संचालन हेतु एक अनुकूल स्थिति उपलब्ध कराता है। चीन ने अपने यहां इस अवसर का सफलतापूर्वक दोहन किया है।
- इसी कारण से नीति आयोग ने यह सुझाव प्रस्तुत किया है कि भारत को भी तटीय आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण पर काम करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सागरमाला पहल के आलोक में यह (CEZs) और महत्वपूर्ण हो गया है।

महत्व

- इस नए औद्योगिक गलियारे से विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क, बुनियादी सुविधाओं, और औद्योगिक तथा अर्बन क्लस्टरों में मौजूदा निवेश के बढ़ने से आर्थिक वृद्धि को गति देने की उम्मीद है।
- विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और देश में विनिर्माण हबों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए VCIC भी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक होगा। ADB के आकलनों के अनुसार, इस गलियारे के तटीय जिलों में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग अगले दो दशकों में प्रति वर्ष 24% की दर से वृद्धि करेगा।
- विकास के दृष्टिकोण से पिछड़े जिलों को डायनेमिक (स्फूर्त) औद्योगिक और अर्बन क्लस्टरों के साथ जोड़कर, VCIC वस्तुतः रोजगार के अवसरों को सृजित करेगा, जिससे गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। यह पूर्वी क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह (क्षेत्र) देश के अन्य क्षेत्रों से काफ़ी पीछे है।
- यह वृहद घरेलू बाजार को एकीकृत करने में भी मदद कर सकता है। उदाहरणस्वरुप, VCIC मुख्यतः चार आर्थिक केन्द्रों और नौ औद्योगिक क्लस्टरों को आपस में जोड़ेगा।
- यह एशिया के डायनेमिक वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करेगा और साथ ही भारत की 'लुक ईस्ट पॉलिसी' को एक नयी दिशा प्रदान करेगा। दक्षिण एशिया और शेष एशिया के बीच वृहद कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण से आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलने की भरपूर संभावना है।
- एक तटीय गलियारे के रूप में, VCIC वस्तुतः अंतरराष्ट्रीय गेटवे (प्रवेश द्वारों) तक बहुल पहुँच प्रदान कर सकता है।
- यह उभरते वैश्विक व्यापार परिदृश्य के लिए आवश्यक व्यापारिक सुधारों के साथ संरेखित है।

VISION IAS

समुद्री क्लस्टर और CEZ (कोस्टल इकॉनोमिक ज़ोन)

- जहाजरानी मंत्रालय के सगरमाला कार्यक्रम के तहत तैयार की गई एक रिपोर्ट के मसौदे के अनुसार, भारतीय समुद्र तट के साथ अवस्थित मेरीटाइम क्लस्टर्स वस्तुतः आर्थिक विकास के लिए विभिन्न ध्यान केन्द्रित वाले क्षेत्रों में से एक होंगे।
- तटीय आर्थिक क्लस्टरों के संबंध में पत्तन आधारित औद्योगिक विकास पर एक रिपोर्ट में अन्तर्निहित संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में **तमिलनाडु और गुजरात** में दो प्रमुख मेरीटाइम क्लस्टरों की पहचान की गयी है।

आवश्यकता

- विश्व स्तर पर, जहाज निर्माण बाजार में चीन, दक्षिण कोरिया और जापान का प्रभुत्व है, जो कुल मिलाकर दुनिया की जहाज निर्माण क्षमता के 90 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उक्त रिपोर्ट के मुताबिक, भारत वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण बाजार के केवल 0.45 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है और यह 2025 तक वैश्विक जहाज निर्माण क्षमता के 3-4 मिलियन DWT (Deadweight tonnes) का लक्ष्य हासिल कर सकता है।
- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत 2025 तक कुल GDP में समुद्री सेवाओं के 0.2 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है।
- मेरीटाइम क्लस्टरों के सहायक उद्योगों का 5,000 करोड़ रुपए का बाजार वस्तुतः इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन (निर्माण) और मशीनिंग की सुविधा प्रदान करने के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2025 तक एक बड़ा अवसर प्रदान कर सकता है।
- रिपोर्ट के अगले हिस्से में सागरमाला के अंतर्गत समुद्री राज्यों और औद्योगिक क्लस्टरों के लिए प्रस्तावित 14 CEZs के माध्यम से देश के लिए बंदरगाह आधारित औद्योगिक विकास के समग्र अवसर प्रदान करने का उल्लेख है।
- इन CEZs की प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थिति लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मददगार होगी, इस प्रकार इससे भारतीय व्यापार विश्व स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बन पाएगा।
- भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत विनिर्माण और औद्योगीकरण को गति देने के लिए औद्योगिक गलियारों से उत्पन्न अवसरों का दोहन करने के लिए इन प्रस्तावित CEZs की कल्पना की गई है।

8.3. अवसंरचना वित्तपोषण

(Infrastructure Funding)

दीर्घकालिक सिंचाई निधि (फंड)

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बाजार से 77,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विभिन्न चरणों में उगाहेगा।
- इन उगाहे गए पैसों से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKYS) के तहत अगले चार वर्षों में 56 सूखा प्रभावित क्षेत्रों सहित प्राथमिकता के आधार पर करीब 100 सिंचाई परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
- सरकार लगभग 76.03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में तब्दील करेगी, जहां मुख्य फोकस सिंचाई क्षमता उपयोग में वृद्धि करने पर होगा।
- कुल परियोजनाओं में से 26 महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 14 और तेलंगाना में 11 पूरे होंगे।

इस निधि से होने वाले लाभ

- इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र (खेत) स्तर पर सिंचाई से संबंधित निवेश के अभिसरण तथा सिंचित कृषि भूमि के विस्तार पर पर होगा, और
- पानी की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने और कृषि के इस पहलू को कवर करने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने में इससे मदद मिलेगी।

खेल क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा (इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस) प्रदान किया गया है

- RBI सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत **वित्त मंत्रालय** ने यह फैसला किया है कि स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्पोर्ट्स से संबद्ध अवसंरचनाएं) को **अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (Harmonized Master List of Infrastructure Subsectors)** के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
- इसमें खेल तथा खेल से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण/अनुसंधान हेतु अकादमियों के लिए खेल स्टेडियम और इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रावधान सम्मिलित हैं।

VISION IAS

लाभ

- यह अब बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- यह पब्लिक गुड (सार्वजनिक उपयोग वाले अवसंरचना आदि) में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिसके कई सामाजिक-आर्थिक लाभ होंगे।
- यह स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश में वृद्धि लाएगा, जो अंततः अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा। पुनः इससे स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी यह सहयोग होगा।
- इससे हमारा देश भविष्य में एक खेल महाशक्ति बन सकता है।

अवसंरचना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 31,300 करोड़ रुपये को जुटाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- यह कदम वस्तुतः अवसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों के लिए पूरक का कार्य करेगा। पुनः यह कदम एक अधिक टिकाऊ विकास के लिए राजस्व –पूंजी व्यय के मिश्रण को भी इंगित करता है।

अवसंरचना क्षेत्र पर खर्च का महत्व

- अवसंरचना सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय वस्तुतः किसी देश में विकास की स्थिरता को प्राप्त करने के लिए मुख्य मापदंडों में से एक है।
- कुल व्यय से पूंजीगत व्यय का अनुपात वस्तुतः इसके (विकास की स्थिरता) मापन का एक मानदण्ड है।
- उपयुक्त घोषणा इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है।

रेलवे भारत विकास कोष (रेलवे इंडिया डेवलपमेंट फंड: RIDF)

- रेलवे, देश भर में लाभकारी परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए 30,000 करोड़ रुपये के एक कोष की स्थापना कर रहा है, जो राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के लिए अपनी तरह का पहला कोष है।
- विश्व बैंक, नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, पेंशन और बीमा कोष तथा अन्य संस्थागत निवेशकों से RIDF का भागीदार बनने की उम्मीद की जा रही है।
- हालांकि, RIDF केवल उन रेल परियोजनाओं में ही निवेश करेगी जिनसे रिटर्न की उच्च दर (14% से 16% के बीच) प्राप्त होने की उम्मीद है। यह गैर-लाभकारी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा।
- RIDF माल-गाड़ियों के आवाजाही के लिए नए रेल लाइनों या स्टेशनों के पुनर्विकास पर ही फोकस करेगा और यह गैर-लाभकारी परियोजनाओं में निवेश नहीं करेगा।
- चूँकि माल-गाड़ियों के आवाजाही वाली रेल लाइनें यात्री लाइनों की तुलना में अधिक लाभकारी होती हैं, अतः RIFD माल-गाड़ियों वाले लइनों पर ही ध्यान केन्द्रित करेगा।
- वर्तमान में, रेलवे कई नई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जो सामाजिक रूप से तो वांछनीय हैं, लेकिन आर्थिक रूप से अलाभकारी हैं।

8.4. विद्युत पारेषण योजना निर्माण

(Power Transmission Planning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) द्वारा गठित माता प्रसाद समिति ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर विद्युत पारेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए पारेषण योजना का पुनरुद्धार करने का सुझाव दिया है।

महत्वपूर्ण सुझाव

- दीर्घावधिक विद्युत खरीद समझौतों (PPAs) की व्यवस्था के विपरीत पारेषण योजना को उपभोक्ता की आकांक्षाओं को पूरा करने के अनुरुप होना चाहिए। पारेषण योजना राज्यों के अनुमानित भार एवं वरीयता क्रम संचालन के आर्थिक सिद्धातों के आधार पर प्रत्याशित उत्पादन परिदृश्य के आधार पर भी की जा सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मामले में पारेषण प्रणाली की योजना प्रत्येक राज्य की परिप्रेक्ष्य योजना एवं नवीकरणीय खरीद बाध्यताओं में अनुमानित क्षमता बढ़ोत्तरियों के आधार पर केन्द्रीय पारेषण व्यवस्था (CTU) द्वारा भी निर्मित की जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र ने पहले ही 2032 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बढ़ोत्तरी करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

- विद्युत बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए पारेषण कॉरिडोर का आवंटन उचित प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रत्येक फ्लो गेट के 5% भाग को अगले दिन के संयुक्त लेन-देन के लिए आरक्षित किया जा सकता है, जिसे विद्युत एक्सचेंजों द्वारा कॉरिडोर के गैर-उपयोग के मामले में आनुषंगिक बाजार (contingency market) के लिए जारी किया जा सकता है। इसकी वार्षिक रूप से समीक्षा की जाएगी।

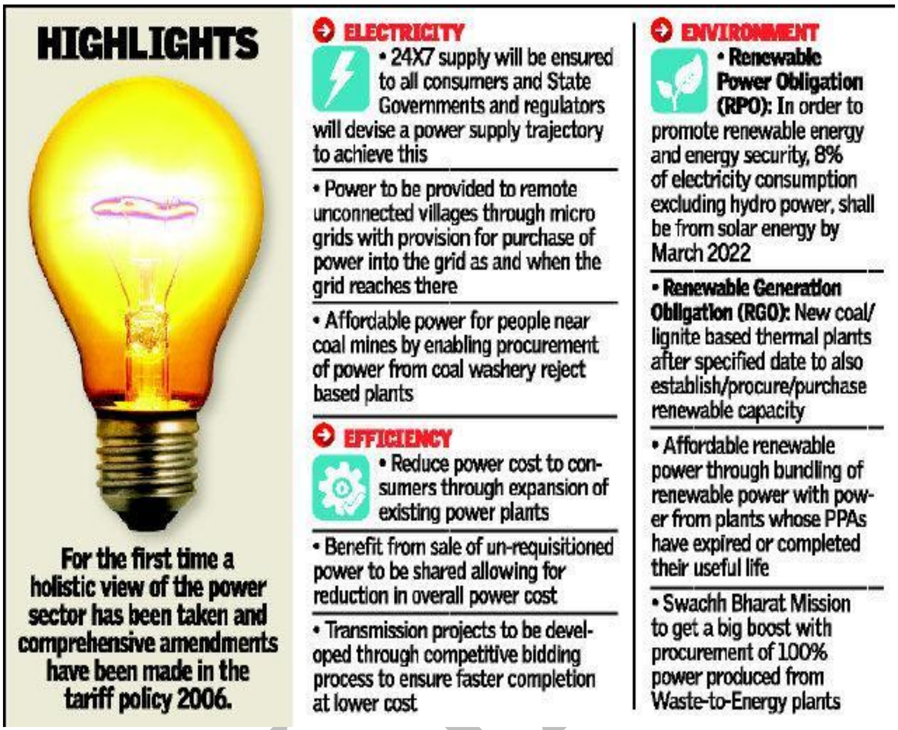

- समिति ने भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) में उत्पादकों के केन्द्रीय भंडार का निर्माण करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, जहाँ नए उत्पादन संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव देने वाले किसी उत्पादन परियोजना विकासकर्ता को अनिवार्य रूप से स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए। यह न केवल पारेषण योजना प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा बल्कि असमन्वित उत्पादन बढ़ोत्तरियों से उत्पन्न होने वाली समस्यायों का भी निराकरण करेगा।
- समिति ने सटीक मांग पूर्वानुमानों के लिए CEA एवं CTU द्वारा राज्यों की हैण्ड-होल्डिंग के मामले को मजबूती के साथ रखा है।

महत्व

ये अनुशंसाएँ भारत की विद्युत अवसंरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाली पारेषण व्यवस्था हेतु बेहतर दीर्घावधिक योजना निर्मित करने में सहयोग करेंगी।

8.5. विद्युत प्रशुल्क (टैरिफ) नीति में संशोधन

(Amendments to Power Tariff Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं इस क्षेत्रक में विकासकर्ताओं (डेवलपर) के लिए व्यापार करने की सरलता में सुधार करने के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय विद्युत प्रशुल्क नीति में कई संशोधनों का अनुमोदन किया है।

संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ

- इन संशोधनों का लक्ष्य निम्नलिखित चार बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करके उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

✓ सभी के लिए विद्युत,

✓ वहनीय (सस्ते) प्रशुल्क सुनिश्चित करने के लिए दक्षता,

✓ संधारणीय भविष्य के लिए पर्यावरण,

✓ निवेशों को आकर्षित करने एवं वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए व्यापार करने की सरलता।

- नवीकरणीय उत्पादन स्रोतों को बढ़ावा देना एवं अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखना, संचालनों में दक्षता एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार इस नीति के उद्देश्यों में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हैं।
- यह नीति प्रशुल्क संरचना में आयात को सम्मिलित करने के प्रयोजन से ईंधन के मूल्य में बढ़ोत्तरी करने की अनुमति भी प्रदान करती है।

- यह नीति पहली बार सहायक सेवाओं के लिए मानकों को निर्दिष्ट करती है। केन्द्रीय आयोग को प्रभारों को साझा करने की विधि सहित सहायक सेवाओं के लिए मानकों एवं ढांचे का आरम्भ करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ये सेवाएँ विद्युत की गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं ग्रिड की सुरक्षा को बनाए रखने हेतु विद्युत प्रणाली या ग्रिड संचालन का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं।

इन संशोधनों का महत्व

- ये संशोधन विद्युत उपभोक्ताओं को विविध प्रकार से लाभान्वित करेंगे। दक्षता के माध्यम से विद्युत की लागत को कम करने के साथ-साथ वे स्वच्छ पर्यावरण के लिए नवीकरणीय विद्युत को प्रोत्साहित करेंगे एवं भारत की ऊर्जा सुरक्षा का संरक्षण करेंगे।
- वे अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, सीवेज जल का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने एवं बदले में पेयजल एवं सिंचाई के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर स्वच्छ भारत मिशन के साथ-साथ नमामि गंगे मिशन के उद्देश्यों में भी सहायता करेंगे।
- ये संशोधन उपभोक्ताओं के लिए उचित एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्षेत्रक की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने, निवेश आकर्षित करने, विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच विनियामक दृष्टिकोणों में पारदर्शिता, सामंजस्य एवं पूर्वानुमेयता को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने की सरलता में सुधार करेंगे।
- उदय (UDAY) जैसी योजनाओं हेतु पूरक का कार्य करने वाले विद्युत प्रशुल्क नीति में किए जाने वाले ये समग्रतावादी संशोधन सभी के लिए 24x7 निरंतर सस्ती विद्युत आपूर्ति के दर्शन को साकार करेंगे।

8.6. भारतीय पुल प्रबन्धन प्रणाली

(Indian Bridge Management System: IBMS)

IBMS के बारे में

- हाल ही में भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली का शुभारम्भ किया गया था।
- IBMS का विकास देश के समस्त पुलों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के लिए किया जा रहा है ताकि उनकी संरचना की अवस्था की गंभीरता का आकलन कर सही समय पर उनकी मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का कार्य संपन्न किया जा सके।
- इससे परिवहन दक्षता में सुधार होगा तथा दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

कार्य प्रणाली

- इनवेंटरी बनाते समय प्रत्येक पुल को **अनूठी पहचान संख्या** या राष्ट्रीय पहचान संख्या राज्य, आरटीओ जोन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य का राजमार्ग और जिले की सड़क पर होने के आधार पर दी जाती है। फिर जीपीएस के माध्यम से अक्षांश, देशांतर के संदर्भ में पुल के वास्तविक स्थान का पता किया जाता है और इसी के अधार पर **पुल स्थान संख्या** दी जाती है।
- फिर डिजाइन, मेटेरियल, पुल के प्रकार, पुल की आयु, लोडिंग, यातायात लेन,लम्बाई, चौड़ाई संबंधी जानकारियां एकत्रित की जाती हैं और इनका इस्तेमाल करके पुल वर्गीकरण संख्या दी जाती है। पुलों को ढांचागत रेटिंग संख्या भी दी जाती है। यह संख्या शून्य के 9 के स्केल पर प्रत्येक पुल को दी जाती है।
- पुलों को सामाजिक, आर्थिक पुल रेटिंग संख्या भी दी जा रही है। इससे क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक गतिविधि में पुल के योगदान का महत्व निर्धारित होगा।
- इस विस्तृत सूची के आधार पर IBMS आंकड़ों का विश्लेषण कर उन पुलों की पहचान करेगा जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

8.7. निर्माण क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने की नवीन पहल

(New Initiatives to Revive the Construction Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने निर्माण क्षेत्रक को पुनर्जीवित करने के लिए पहलों की एक पूरी श्रृंखला को स्वीकृति प्रदान की है।

पहल

- मध्यस्थता पंचाट में फंसी निधियों को जारी कर निलंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार ने एक तंत्र विकसित किया है।
- सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, संविदाकारों की सहमति से मध्यस्थता पंचाट में चल रहे मामलों की प्रक्रिया को तीव्र गति से संपन्न करने वाली संशोधित मध्यस्थता अधिनियम को हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया है।

VISION IAS

- अंततः, बोली लगाए जाने वाले दस्तावेज़ों और मॉडल अनुबंधों में बदलावों तथा सुलह का अधिक प्रयोग सहित अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।
- वित्तीय सेवा विभाग निर्माण क्षेत्रक में दवाबग्रस्त बैंक ऋणों के समाधान के लिए एक उपयुक्त योजना की परीक्षण कर रही है।

इन कदमों का महत्व

- इन कदमों से अल्पावधि में तरलता में सुधार लाने तथा दीर्घावधि में अनुबंध व्यवस्था में सुधार लाने में मदद मिलेगी।
- इससे बैंकों द्वारा ऋण उगाही में भी सहायता मिलेगी तथा निर्माण कंपनियों को जारी परियोजनाओं की कार्यान्वयन को गति प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।
- इससे निर्माण कंपनियों की नए अनुबंधों के लिए बोली लगाने संबंधी क्षमता में सुधार होगा तथा इससे उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा के कारण सार्वजनिक कार्यों पर आने वाली लागत पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।
- चूँकि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोज़गार का सबसे बड़ा भाग है, इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण से महत्वपूर्ण रूप से रोज़गार सृजन में भी सहायता मिलेगी।

निर्माण क्षेत्रक का महत्व

- यह क्षेत्रक आर्थिक गतिविधियों में द्वितीय सबसे बड़ा योगदान देता है तथा सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 8% है।
- यह सेवा क्षेत्र के पश्चात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह को आकर्षित करने वाला द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रक है।
- इसके माध्यम से सर्वाधिक प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोज़गार उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, तथा इसमें निवेश किए गए प्रत्येक एक लाख रूपए से 2.7 नए रोज़गारों का सृजन होता है।
- इस क्षेत्र की मुख्य फॉरवर्ड लिंकेज (संरचनात्मक, भू-संपत्ति, निर्माण) तथा बैकवर्ड लिंकेज (लोहा, सीमेंट, इत्यादि) हैं जिसका आर्थिक प्रगति पर अत्यंत गुणक प्रभाव होता है।

8.8. क्षेत्रीय कनेक्टविटी योजना 'उड़ान' का शुभारम्भ

(Regional Connectivity Scheme 'Udan' Launched)

योजना के बारे में

- UDAN क्षेत्रीय उड्डयन बाज़ार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य है- **"उड़े देश का आम नागरिक"**।

प्रमुख विशेषताएं

- उड़ान योजना 200 किमी से 800 किमी के बीच की उड़ानों पर लागू होगा जबकि पहाड़ी, सुदूरवर्ती, द्वीपीय तथा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए कोई निम्न सीमा नियत नहीं की गयी है।
- इस योजना में एक न्यूनतम संख्या में उड़ान सीटों को आरक्षित करना है अर्थात रियायती दरों पर सीटें उपलब्ध करायी जाएगी। साथ ही यह कम दूरी की उड़ानों के किराए पर भी एक अधिकतम सीमा नियत करती है।
- इसे दो साधनों के आधार पर प्राप्त किया जाएगा:

✓ केंद्र तथा राज्य सरकारों एवं विमान पत्तन संचालकों से रियायतें जैसे कि करों में छूट, पार्किंग तथा लैंडिंग शुल्क से छूट, इत्यादि के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

✓ ऐसे हवाई अड्डों से उड़ानों का आरम्भ करने के इच्छुक एयरलाइनों के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) प्रदान करना जिससे कि यात्री किरायों को वहनीय रखा जा सके।

- रूचि रखने वाले ऑपरेटर, योजना लागू करने वाली एजेंसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, इसके पश्चात ऐसे सभी मार्ग प्रस्तावों को उत्क्रमित बोली व्यवस्था के माध्यम से स्पर्धी बोली लगाने की पेशकश की जाएगी और उस ऑपरेटर को मार्ग अधिकार मिलेगा जिसकी बोली प्रति सीट न्यूनतम VGF की होगी।
- तीन वर्ष की अवधि के पश्चात इस सहायता को वापस ले लिया जाएगा। उस अवधि के समाप्त होते-होते उन मार्गों के स्वतः वहनीय हो जाने की अपेक्षा की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत VGF संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क कोष (रीजनल कनेक्टिविटी फण्ड: RCF) बनाया जाएगा। भागीदार राज्य सरकारें (इनमें पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं हैं जिनका योगदान 10 प्रतिशत होगा) इस कोष के लिए 20 प्रतिशत हिस्से का योगदान देंगी और कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान RCF कर लगाया जाएगा।

- संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए इस योजना के तहत आवंटन देश के पांच भौगोलिक क्षेत्रों में समान रूप किया जाएगा। वे क्षेत्र हैं- उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर-पूर्व।
- उड़ान योजना का संचालन जिन हवाई अड्डों से शुरू किया जाएगा उनका चयन राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके और उनकी रियायतों की पुष्टि के बाद ही किया जाएगा।
- उड़ान योजना में, वर्तमान सुविधाहीन तथा अत्यंत कम सुविधा प्राप्त हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार कर कनेक्टिविटी प्रदान करने कि परिकल्पना की गयी है।
- यह योजना 10 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी।

महत्व

- इस योजना के कारण वहनीयता, सम्बद्धता, संवृद्धि तथा विकास सुनिश्चित होंगे।
- यह रोज़गार सृजन में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में निवेश किये जाने वाले प्रत्येक रुपए से अर्थव्यवस्था में 3.5 रुपए की वृद्धि होती है, तथा प्रत्यक्ष रूप से सृजित प्रत्येक रोज़गार 6.1 अप्रत्यक्ष अवसरों का निर्माण करता है।
- यह थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली वर्तमान वस्तुओं, कमज़ोर या टूट सकने वाली वस्तुओं तथा उच्च मूल्य वाले निर्याताभिमुख उत्पादों को वायु मार्ग से एक से दुसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता में वृद्धि के द्वारा व्यवसाय का एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है।
- राज्य सरकारों को छोटे वायुयानों तथा हेलीकॉप्टरों को सेवा में लाकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास, संवर्द्धित व्यापार तथा वाणिज्य एवं पर्यटन के और अधिक विस्तार जैसे अनेक लाभ होंगे।
- वर्तमान में सेवारत एयरलाइनों को नए मार्गों तथा और अधिक यात्रियों की प्राप्ति की संभावना बनती है, जबकि स्टार्ट अप एयरलाइनों के लिए नवीन आरोह्य (scalable) व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हैं।
- सेवा-बाधित तथा क्षमता से कम सेवा प्रदान कर रहे हवाई अड्डों (कुल संख्या 416) का व्यावसायीकरण के कारण केवल कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित रहे सार्वजनिक स्वामित्व के स्थलों का लोकतंत्रीकरण होगा। एक औसत नागरिक को उनके प्रयोग तथा विकास में साझेदारी प्राप्त होगी।

आलोचनाएं

- एयरलाइनें विलासिता की प्रतीक होती हैं। भारत जैसे निर्धन देश में क्षेत्रीय वायु-मार्गों की सम्बद्धता के लिए सरकारों तथा यात्रियों के ऊपर अतिरिक्त अनुदानों का बोझ डाला जाना अनुपयुक्त प्राथमिकताओं वाला मुद्दा प्रतीत होता है।
- यात्री आवागमन के रूप में देखें तो भारत विश्व का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला बाज़ार है। जनवरी तथा सितम्बर 2016 के बीच, भारत में यात्री आवागमन में 23.17% की वृद्धि हुई। उड्डयन नियामक के आंकड़ों को देख कर पता चलता है कि सभी लाइसेंस प्राप्त एयरलाइनों ने अपने क्षेत्रीय सम्बद्धता कोटे को बहुत पीछे छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने नियामकों द्वारा निर्देशित संख्या से कहीं बहुत अधिक यात्रियों को ढोया है। इससे यह प्रतीत होता है कि इस अवस्था से बाज़ार की गतिशीलता क्षेत्रीय सम्बद्धता में वृद्धि का कारण बन सकती है। इसलिए, राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों को कहीं अन्य व्यय किया जाना बेहतर सिद्ध होगा।
- किसी मार्ग को स्वयं वहनीय बनाने के लिए तीन वर्ष की पूर्व-धारणा अनुपयुक्त हो सकती है। साथ ही इसमें ईंधन की कीमतों में वृद्धि के पहलू का आकलन नहीं किया गया है जो वायु-मार्ग के किराया संबंधी गतिकी में प्रभावी बदलाव लाएगा।

एयरलाइनों के संचालन संबंधी वातावरण पर पहले से ही अत्यधिक कर-बोझ है (FTA पर आरोपित कर विश्व में सबसे अधिक हैं)। इसलिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक और करारोपण से एयरलाइनें और अधिक परेशान प्रतीत हो रही हैं।

8.9. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

(Eastern Dedicated Freight Corridor)

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में

- यह भारतीय रेलवे द्वारा पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक के भारतीय राज्यों को जोड़नेवाला निर्माणाधीन माल गलियारा है।
- यह 1,840 किलोमीटर लंबा है और तीन अनुभागों वाली परियोजनाओं की श्रृंखला के रूप में पंजाब के लुधियाना से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक विस्तृत है।

VISION IAS

सुर्ख़ियों में क्यों

- हाल ही में, विश्व बैंक समूह के अंग अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (I.R.B.D) ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीसरे चरण के लिए D.F.C.C.I.L. को $650 मिलियन डॉलर उधार देने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
- क्रमशः $975 मिलियन डॉलर और $1,100 मिलियन डॉलर के ऋणों के रूप में विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय सहयोग की सहायता से D.F.C.C.I.L, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पहले दो चरणों का पहले से ही कार्यान्वन कर रहा है।

इस परियोजना का महत्व

- इससे रेल परिवहन क्षमता का संवर्धन होगा, सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में स्थित विद्युत और भारी विनिर्माण उद्योग सीधे लाभान्वित होंगें क्योंकि ये उद्योग भारी और उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के साथ-साथ अपने कच्चे माल के कुशल परिवहन के लिए सुचारू रेलवे नेटवर्क पर निर्भर हैं।
- इसके अतिरिक्त, रेलवे यात्री भी लाभान्वित होंगें क्योंकि वर्तमान यात्री लाइनों की भीड़भाड़ कम जाएगी।
- इससे संपूर्ण समर्पित मालभाड़ा गलियारा नेटवर्क का निर्माण, अनुरक्षण और संचालन करने के लिए D.F.C.C.I.L की संस्थागत क्षमता विकसित करने में सहायता मिलेगी।

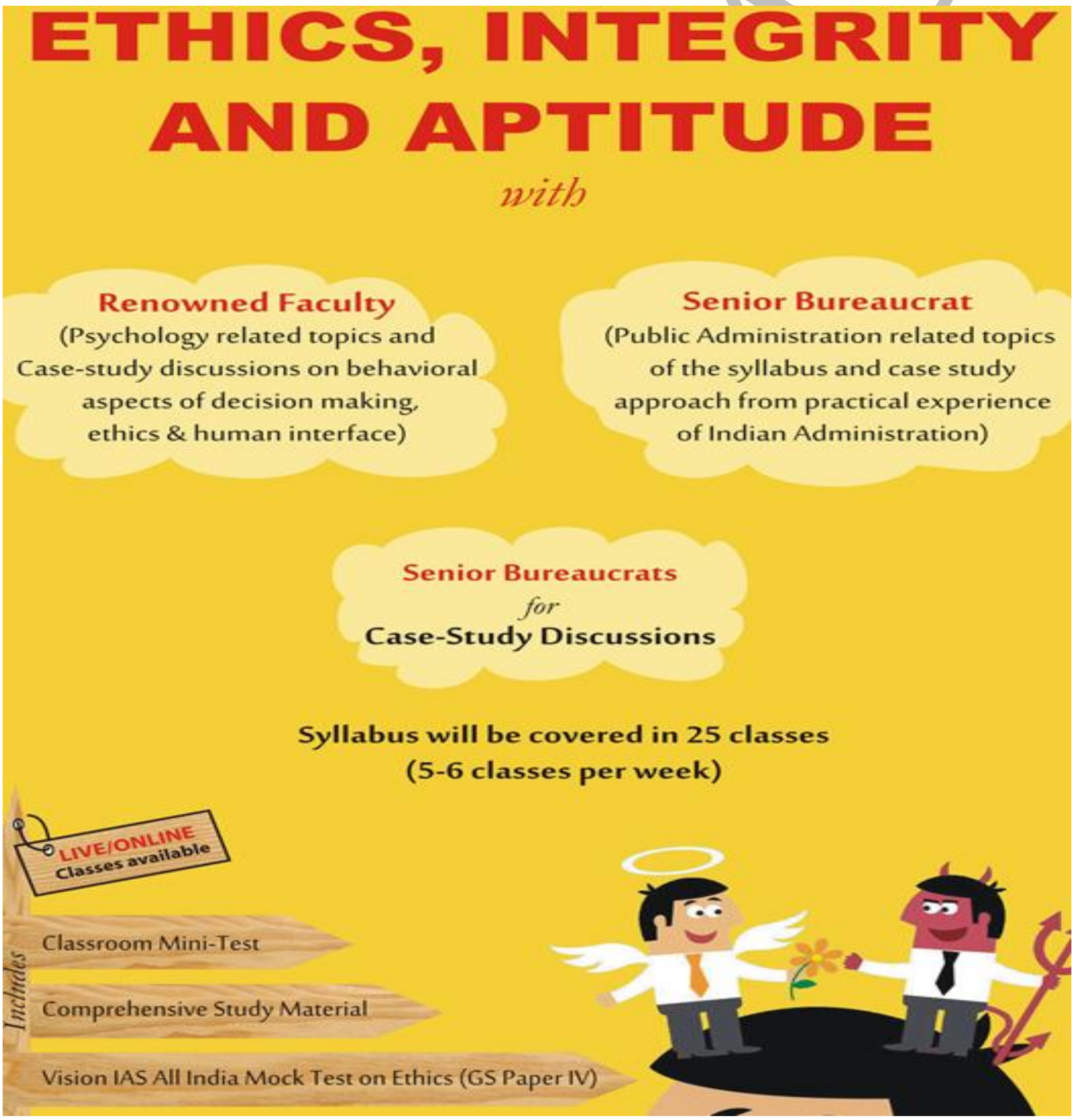

9. निवेश मॉडल

(INVESTMENT MODELS)

9.1. PSUs सुधार: विनिवेश नीति

(PSU Reforms: Disinvestment Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, PMO ने 22 सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों में रणनीतिक बिक्री के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य इन PSUs में सरकार की हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से नीचे लाना है।
- पुनः इसने PSUs सुधार के तहत उठाए जाने वाले कदमों के तौर पर घाटे में चल रही कुछ PSUs को बंद करने की नीति आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है।
- सरकार ने पहले ही विनिवेश विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ डिसइनवेस्टमेंट) का नाम बदलकर निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट: **DIPAM**) कर दिया है।

पृष्ठभूमि

- भारत की विनिवेश नीति में कई बदलाव आए हैं। वर्तमान NDA सरकार की नीति निम्नलिखित तीन बिंदुओं पर केंद्रित है:

✓ PSUs राष्ट्र की संपत्ति हैं और इस संपत्ति को लोगों के हाथों में सुनिश्चित करने के लिए, CPSEs (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण) में सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा देना,

✓ सूचीबद्ध CPSEs में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश को अपनाते हुए, सरकार बहुलांश हिस्सेदारी बनाए रखेगी, अर्थात् PSUs की हिस्सेदारी (शेयरधारण) और प्रबंधन नियंत्रण के लिए आवश्यक कम-से-कम 51 प्रतिशत शेयर धारण रखना; तथा

✓ चिन्हित CPSEs में सरकार की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से सामरिक विनिवेश करना, जहां प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी किया जाएगा।

- वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में 41,000 करोड़ रुपए के रणनीतिक विनिवेश का वादा किया था।

महत्व

- यह कदम सिर्फ सरकार के राजकोषीय आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं करता, अपितु इसके तहत अधिक प्रभावी ढंग से सार्वजनिक निवेश के प्रबंधन का दृष्टिकोण भी सम्मिलित है।
- यह PSUs से संबंधित सुधारों की लंबी प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

नीति आयोग की भागीदारी इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाएगी।

10. विविध

(Miscellaneous)

10.1. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार

(India Improves in Global Competitiveness Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम: WEF) की नवीनतम वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, और यह अब 39वें रैंक पर पहुंच गया है।

MARKED ADVANCEMENT

YEAR	INDIA'S GLOBAL COMPETITIVENESS RANKING		TOTAL COUNTRIES
2016-17	39	▲	138
2015-16	55	▲	140
2014-15	71	▼	144
2013-14	60	▼	148
2012-13	59		144

India's performance	RANK 2015-16	RANK 2016-17	
Basic requirements	80	**63**	▲
Institutions	60	**42**	▲
Infrastructure	81	**68**	▲
Macroeconomic environment	91	**75**	▲
Health and primary education	84	**85**	▼
Efficiency enhancers	58	**46**	▲
Higher education and training	90	**81**	▲
Goods market efficiency	91	**60**	▲
Labour market efficiency	103	**84**	▲
Financial market development	53	**38**	▲
Technological readiness	120	**110**	▲
Market size	3	**3**	◀▶
Innovation and sophistication factors	46	**30**	▲
Business sophistication	52	**35**	▲
Innovation	42	**29**	▲

Source: Global Competitiveness Index

मुख्य तथ्य

- 39वें रैंक पर पहुंचने के लिए भारत की रैंकिंग में 16 स्थानों का सुधार हुआ है, जिससे यह सर्वेक्षण में शामिल 138 देशों में सबसे तेजी से अपनी रैंकिंग सुधारने वाला देश बन गया है।
- वैसे तो संपूर्ण सूचकांक स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार देखने को मिला है, लेकिन यह विशेष रूप से वस्तु बाजार दक्षता (60), व्यापार परिष्कार (35) और नवोन्मेष (29) के क्षेत्र में अधिक स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है।
- BRICS देशों के बीच भारत दूसरा सबसे प्रतिस्पर्धी देश है । 28वें रैंक पर होने के कारण (BRICS देशों में) चीन प्रथम स्थान पर है।
- सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए विभिन्न सुधारात्मक कदम जिनकी मदद से इसके रैंक में सुधार हुआ है, निम्नलिखित हैं:

✓ सार्वजनिक संस्थानों में सुधार (16 स्थान ऊपर)।

✓ विदेशी निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना (4 स्थान ऊपर)।

✓ वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना (15 स्थान ऊपर)।

- WEF ने अवलोकित किया है कि भारत को अभी भी निम्नलिखित समस्याओं से निपटने की आवश्यकता है:

✓ श्रम बाजार में निहित कमियां,

✓ बड़े सार्वजनिक उद्यम, जोकि आर्थिक क्षमता को कम करते हैं,

✓ वित्तीय बाजार,

✓ अवसंरचना का अभाव।

10.2. CSR व्यय में रुझान

(Trends in CSR Spending)

मुख्य विशेषताएं

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से संबंधित नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत ने 2015-16 में अपने CSR दायित्व के भाग के रूप में 8345 करोड़ रुपये व्यय किये हैं।
- यह पिछले वर्ष में किए गए 6526 करोड़ रूपए के व्यय से 28% अधिक है।
- शिक्षा और स्वास्थ्य वरीय क्षेत्र बने हुए हैं।

- केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अन्य फंडों के साथ-साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड 418% की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

मुद्दे

- जहाँ अनुपालन दर में वृद्धि हुई है, वहीं व्यय न की गई राशि में भी वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि एक बड़ी संख्या में कंपनियाँ अपना सामाजिक दायित्व पूरा करने में विफल रही हैं और CSR पर निर्धारित राशि व्यंय नहीं कर पाई हैं।
- कॉर्पोरेट वास्तव में CSR पर उतना व्यय नहीं कर रहे जितना उन्हें करना चाहिए क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 41% की तुलना में केवल 28% की वृद्धि का पता चलता है।
- वे परिवर्तन हाथ में लेने या संचालित करने की बजाय प्रधानमंत्री राहत कोष में निष्क्रिय योगदान कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां CSR का निष्क्रिय तरीके से निर्वहन करना बेहतर समझती हैं क्योंकि इससे उनका समय और मानव संसाधन बचता है।
- व्यय न किये जाने के लिए कंपनियों द्वारा उद्धृत अन्य कारण हैं - सही अवसर या परियोजना की पहचान करने में सक्षम होने की कमी और कार्यान्वयन एजेंसी खोजने में सक्षम न होना।

CSR के संबंध में

- CSR प्रावधानों का समावेश करने के लिए 2013 में कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया था। CSR नियम, 2014 इस प्रक्रिया का विनियमन करता है।
- यह विनियम कंपनियों के लिए विभिन्न सामाजिक कारणों के प्रति औसत शुद्ध लाभ (पिछले तीन वर्षों में अर्जित) का कम से कम 2 प्रतिशत व्यय करना अनिवार्य बनाता है।

10.3.ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग

(Ease of Doing Business Rankings)

पृष्ठभूमि

- विश्व बैंक अर्थव्यवस्थाओं की उनकी ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने की सुगमता) के आधार पर रैंकिंग करता है। व्यापार करने की सुगमता की उच्च रैंकिंग का अर्थ यह है कि विनियामकीय बातावरण स्थानीय फर्म का शुभारंभ और संचालन करने के अनुकूल है।
- रैंकिंग 10 शीर्षकों पर फ्रंटियर स्कोर से कुल दूरी की छँटाई करके निर्धारित की जाती है, प्रत्येक शीर्षक कई संकेतकों से मिलकर बना है, प्रत्येक शीर्षक को बराबर वजन दिया जाता है।
- पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस रैंकिंग में भारत का स्थान नीचे रहा है। 2017 की हाल की रैंकिंग में, भारत एक स्थान ऊपर चढ़कर 130वें स्थान पर पहुंच गया है।
- यह मामूली सुधार भी चार संकेतकों - बिजली का मिलना, अनुबंधों का प्रवर्तन, सीमापार व्यापार और संपत्ति के पंजीकरण में हल्के सुधार के बूते आया है।

इस रिपोर्ट के सकारात्मक पहलू

- इस रिपोर्ट में वर्तमान भारत सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की प्रशंसा की गई है।
- यह 10 में से चार शीर्षकों के अंतर्गत सुधारों को मान्यता प्रदान करती है जो अभी तक भारत द्वारा प्राप्त उच्चतम हैं।
- प्रत्येक अर्थव्यवस्था और उक्त श्रेणी में सबसे अच्छे प्रदर्शन के बीच की दूरी नापने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रयुक्त -'फ्रंटियर से दूरी' (डीटीएफ) स्कोर – में इन 10 शीर्षकों में से सात में सुधार आया है।
- इस रिपोर्ट में विशेष रूप से व्यापारों के लिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने में समय और लागत में महत्वपूर्ण कटौती प्राप्त करने के लिए भारत की प्रशंसा की गई है।

क्या मामूली सुधार चिंता का विषय होना चाहिए?

- भारत की स्थिति में केवल एक स्थान का सुधार हुआ है। इसे दो कारणों से कई लोगों द्वारा चिंता के विषय के रूप में देखा जा रहा है:

✓ भारत ने बीते वर्षों के दौरान दिवालियापन संहिता, जीएसटी के अधिनियमन, निर्माण योजना के अनुमोदन और ऑनलाइन ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के लिए एकल खिड़की प्रणाली का प्रचालन और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) पंजीकरण आदि जैसे कई आर्थिक सुधार किए हैं। इस प्रकार, बेहतर रैंकिंग की आशा थी।

✓ इसके अतिरिक्त, वर्तमान सरकार का लक्ष्य था कि भारत को 2018 तक ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में लाना है। अब यह लक्ष्य अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लगता है।

- हालांकि, यह रिपोर्ट भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की स्थिति का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व नहीं करती है। उदाहरण के लिए:
- इस रिपोर्ट में केवल 1 जून 2016 तक किए गए सुधारों का संज्ञान लिया गया है। फलस्वरूप ऋणशोधन क्षमता और दिवालियापन संहिता जैसे कुछ प्रमुख सुधार नहीं सम्मिलित किए गए हैं। भारत को अगले वर्ष बेहतर रैंकिंग मिलने की आशा है।
- दूसरे, रैंकिंग पद्धति में एक विशेष परिवर्तन भारत की सुधार की संभावनाओं को काफी क्षति पहुंचाने वाली प्रतीत होता है। "करों का भुगतान" शीर्षक के अंतर्गत भारत का नीचे से चौथा स्थान है। नए मापदंड 'पोस्ट-फाइलिंग सूचकांक' के समावेश को इसमें काफी योगदान करना है।
- तीसरे, इस रैंकिंग में केवल दो शहर दिल्ली और मुंबई सम्मिलित हैं। हालांकि, सुधार पूरे भारत में किया जा रहा है। वास्तव में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों ने आर्थिक सुधारों के संबंध में उल्लेखनीय प्रयास किया है।
- चौथे, साथ ही अपनी रैंकिंग में सुधार लाने का प्रयास कर रहे अन्य देशों से भी अधिक से अधिक से प्रतिस्पर्धा है। वास्तव में, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम एक सुधार लागू करने वाले देशों की संख्या 122 से बढ़कर 137 हो गई है। इस प्रकार, भले ही भारत ने अपनी व्यापार करने की सुगमता में सुधार किया होता, लेकिन यह इसी अर्थ में रैंकिंग में परिलक्षित नहीं होता।
- इसके अतिरिक्त, इस रैंकिंग प्रक्रिया की भी अपनी सीमाएं हैं। यह रिपोर्ट सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ समेटती है। जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ उभरते बाजारों को, शांतिपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थाओं आदि को। इस प्रकार का दृष्टिकोण विशाल रैंकिंग प्रणाली देता है, लेकिन, उदाहरण के लिए, पूंजी के प्रवाह की भविष्यवाणी करने में शायद ही उपयोगी है। इस प्रकार, जहां भारत EODB में कई देशों से पीछे छूट सकता है, वहीं यह अभी भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि के लिए बेहतर गंतव्य हो सकता है।

आगे की राह

- हमें जॉर्जिया और कजाखस्तान जैसे अन्य देशों से सीखना चाहिए जिन्होंने कुछ वर्षों के संदर्भ में रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे पिछले 10 वर्षों में जॉर्जिया की रैंकिंग 100 से सुधर कर 16 हो गई है।
- DIPP सुधार आगे बढ़ाने, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श आयोजित करने, और सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में विभागों की सहायता करने के लिए बाहरी एजेंसियां नियुक्त करने की योजना बना रहा है।

A Long Way To Go

	2017 Rank	2016 Rank
Overall	130	131
Starting A Business	155	151
Dealing With Construction Permits	185	184
Getting Electricity	26	51
Registering Property	138	140
Getting Credit	44	42
Protecting Minority Investors	13	10
Paying Taxes	172	172
Trading Across Borders	143	144
Enforcing Contracts	172	178
Resolving Insolvency	136	135

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking — Bloomberg | Quint

Last Amongst BRICS Nations

Country	2015	2016	2017
Russia	62	51	40
South Africa	43	73	74
China	90	84	78
Brazil	120	116	123
India	142	131	130

Source: World Bank Doing Business 2017 Ranking — Bloomberg | Quint

10.4. अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार

(Nobel Prize in economics)

चर्चा में क्यों?

- हार्वर्ड के ओलिवर हार्ट और एमआईटी के प्रोफेसर बेंट हॉल्म स्टॉर्म ने अनुबंध और व्यापार में मानव व्यवहार के अपने अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में इस वर्ष का नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है।

VISION IAS

अनुबंध सिद्धांत क्या है?

- जिस प्रकार अनुबंध अभिकल्पित किए जाते हैं वास्तविक जगत में विभिन्न स्थितियों में हमारे प्रोत्साहनों/फायदों को परिभाषित करते है। अनुबंध हो सकते हैं:
- ✓ औपचारिक या अनौपचारिक, इस आधार पर कि क्या उन्हें कानून या सामाजिक मानदंडों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है
- ✓ पूर्ण या अपूर्ण, जो इस बात पर आधारित होते हैं कि क्या वे सभी संभावनाओं का संज्ञान लेते हैं जो भविष्य में निहित हैं
- अनुबंध सिद्धांत, कम से कम आंशिक रूप से, हमारे अनुबंधों में सूक्ष्मभेदों और किस प्रकार इन अनुबंधों का बेहतर निर्माण किया जा सकता है को समझने का प्रयास हैं।
- इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने "शीर्ष अधिकारियों के लिए प्रदर्शन आधारित वेतन, बीमा में कटौती योग्य और सह-भुगतान, और सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों का निजीकरण जैसी संविदात्मक अभिकल्पंना में कई विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा" प्रदान की है।
- यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद के वर्षों में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है, जिसका कारण निवेश बैंकरों को भुगतान किए गए विशाल नकद बोनसों द्वारा प्रोत्साहित अल्पकालिक जोखिम बताया जा रहा था।
- यह नैतिक जोखिम के विषयों पर भी ध्यान देता है, जो वहां उत्पन्न होते है, जहां जोखिम लेने वाले लोग विफलता की लागत साझा नहीं करते हैं।

महत्व

- अनुबंध सिद्धांत ने कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर संवैधानिक कानून तक कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
- अनुबंध सिद्धांत सटीक परिकल्पना उत्पन्न करता है जिसका अनुभवजन्य आंकड़ों के साथ सामना किया जा सकता और दिवालियापन कानून से लेकर राजनीतिक संविधानों तक विभिन्न नीतियों और संस्थाओं की अभिकल्पना के लिए बौद्धिक आधार तैयार करता है।

सार्वजनिक नीति में अनुबंध सिद्धांत का उपयोग कुछ ऐसा है जिसे भारत सरकार को सीखना चाहिए, चाहे यह दूरसंचार क्षेत्र में नीलामी की अभिकल्पाना हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अभिकल्पना।

10.5. आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (इकॉनोमिक फ्रीडम इंडेक्स)

(Economic Freedom Index)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित 2016 के रिपोर्ट में 159 देशों की सूची में भारत को 112वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 स्थानों के नुकसान को भी प्रदर्शित करता है।

यह क्या है?

- 'जब उपयुक्त पद्धति से हासिल किए गए लोगों की आर्थिक संपत्ति की रक्षा की जाए और लोग उसका उपयोग करने अथवा विनिमय करने या दूसरों के क़ानूनी अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपनी संपत्ति को दूसरे को सौंपने या देने के लिए के लिए स्वतंत्र हों' तो इसे व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के एक **क्लासिकल (आदर्श) परिभाषा** के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- इस प्रकार, अनिवार्य रूप से, आर्थिक स्वतंत्रता अग्रलिखित व्यापक आयामों पर निर्भर करता है: निजी-स्वामित्व वाली संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश क्षमता और कानून का शासन।
- इस प्रकार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मूल रूप से इसी स्वतंत्रता को मापने की कोशिश करता है और उसी के अनुसार विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान करता है।
- ऐसे सूचकांक आमतौर पर आर्थिक थिंक टैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान सूचकांक वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहयोग से अमेरिका अवस्थित हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की गयी है।
- यह सूचकांक प्रति व्यक्ति GDP के आधार पर आर्थिक समृद्धि का एक मापक है।

सूचकांक का महत्व

- पाँच व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत, भारत की रैंकिंग, **सरकार के आकार** (साइज़ ऑफ़ दि गवर्नमेंट) के संदर्भ में सबसे अच्छा रहा (8), जबकि **विनियमन** (132) और **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता** (144) के संदर्भ में इसका खराब प्रदर्शन रहा।
- वैश्विक आर्थिक सुस्ती और ढांचागत परियोजनाओं में भारत की अपनी लेटलतीफी की वजह से निर्यात के संदर्भ में इसका खराब प्रदर्शन रहा।

VISION IAS

- इसी प्रकार, बहुत सारे विनियमों को आर्थिक विकास की संभावनाओं में बाधा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, सरकार ने अब तक उन सभी कानूनों और विनियमों की अच्छी तरह से पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है जो वर्तमान समय के अनुसार प्रासंगिक नहीं हैं।
- GST, दिवालियापन संहिता (बैंकरप्सी कोड), श्रम कानूनों में सुधार आदि जैसे कानूनों के कारण विनियम के स्तर पर उक्त सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार होगी।

10.6. विश्व लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन सूचकांक

(World Logistics Performance Index)

- किसी देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय गेटवे पर उसके लॉजिस्टिक्स कार्य निष्पादन को मापने वाले विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला दक्षता के द्विवार्षिक आंकलन, जिसे लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक (LPI) कहा जाता है, में 2016 में भारत को 35 वां स्थान दिया गया है, वर्ष 2014 में भारत का इस सूचकांक में 54 वां स्थान था।
- जर्मनी 2016 की रैंकिंग में सबसे ऊपर है, वहीं भारत, पुर्तगाल और न्यूजीलैंड जैसी अपेक्षाकृत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आगे है।
- लॉजिस्टिक में बेहतर प्रदर्शन न केवल भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाकर मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है बल्कि व्यापार की वृद्धि में भी मदद कर सकता है।
- LPI मापक छह घटकों अर्थात सीमा शुल्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट, लॉजिस्टिक गुणवत्ता और क्षमता, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग, और समयबद्धता में प्रदर्शन पर आधारित है।
- यह सूचकांक सम्बद्ध हितधारकों के वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है, इस सर्वेक्षण का आधार, इन हितधारकों द्वारा जहा संचालन किया जाता है, उन देशों के तथा जिनके साथ हितधारक व्यापार करते हैं, उनके सन्दर्भ में लॉजिस्टिक के प्रति उन देशों की अनुकूलता के विषय में दिया गया फीडबैक है।
- लॉजिस्टिक कार्य निष्पादन सूचकांक यह नहीं स्पष्ट करता है कि देश के भीतर या दूरदराज के इलाकों में वस्तुओं का आवागमन कितना सुगम या कठिन है।

10.7. भारत विश्व व्यापार संगठन में अपील हारा

(India Lost Appeal in WTO)

पृष्ठभूमि

- भारत ने अपने राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बड़ी सौर परियोजनाओं के लिए 'स्थानीय-क्रय' (buy-local) प्रावधान का प्रस्ताव किया है। इसके तहत परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर निर्मित उपकरणों का प्रयोग किये जाने पर परियोजनाओं को सब्सिडी और सरकारी खरीद का आश्वासन दिया गया था।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इससे पहले इस वर्ष के शुरुआत में भारत में आयातित सौर उपकरणों के लिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को दूर करने के क्रम में इस प्रावधान के खिलाफ फैसला सुनाया था।
- WTO के अनुसार, स्थानीय सामग्री को प्रयोग करने का उपबंध स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उसके प्रयासों को कमजोर करेगा, क्योंकि इस उपबंध के तहत अधिक महंगे और कम कुशल स्थानीय उपकरणों के उपयोग की अनिवार्यता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लागत प्रतिस्पर्धी होने को और अधिक कठिन बना देगी।
- हालांकि, यह स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की दिशा में भारत के प्रयासों के लिए एक झटका साबित हुआ है।
- भारत के अनुसार, 'स्थानीय-क्रय' से संबंधित प्रावधान आर्थिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक और लोकप्रिय समर्थन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है क्योंकि वे रोजगार के अवसर निर्मित करते हैं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, प्रक्रिया को लागत प्रभावी बनाते हैं, ट्रेड यूनियनों और वोट बैंक को उनके सहयोग का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- इस प्रकार, भारत ने WTO के समक्ष इस मुद्दे पर एक अपील दायर की थी। हालांकि, हाल ही में अपील को खारिज कर दिया गया।

(इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए विजन करंट अफेयर्स का फरवरी 2016 संस्करण देखें)

10.8. भारत का पहला वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र

(India's First Commercial Arbitration Centre)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्यिक मध्यस्थता के लिए भारत का पहला प्रमुख केंद्र **मुंबई सेंटर फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (MCIA)** 8 अक्टूबर 2016 को मुंबई में शुरू किया गया।

महत्व

- यह भारत को **अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का एक केंद्र** बनाएगा।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने में मदद।
- वाणिज्यिक मध्यस्थता केन्द्र सिंगापुर, लंदन या हांगकांग के एक वैकल्पिक मंच के रूप में कार्य करेगा जहाँ भारतीय व्यवसाय संपर्क कर सकते हैं।
- भारत में मध्यस्थता केंद्र हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
- इस वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र से हमारी न्यायिक प्रणाली का बोझ कम करने में भी मदद मिलेगी।
- महाराष्ट्र सरकार और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कानूनी समूहों के मध्य संयुक्त पहल।
- मध्यस्थता नियम अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के सर्वोत्तम नियमों पर आधारित होंगे।

10.9. एक्वाकल्चर को बढ़ावा

(Push for Aquaculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?:

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य प्रदर्शनी (IISS) का आयोजन विशाखापत्तनम में 23-25 सितंबर को किया गया। इसका थीम **"सुरक्षित और सतत भारतीय एक्वाकल्चर"** (Safe and Sustainable Indian Aquaculture) था।

एक्वाकल्चर क्या है?

- खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, "एक्वाकल्चर का अर्थ मछली, सीप, क्रसटेशियन और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती है"।
- विशेष प्रकार की जलीय कृषि में मछली की कृषि, झींगा कृषि, सीप कृषि, सागरीय कृषि, एल्गाकल्चर (जैसे कि समुद्री शैवाल कृषि), और सजावटी मछली की कृषि शामिल है।
- एक्वापोनिक्स और एकीकृत बहु-स्तरीय मत्स्य पालन जैसे विशेष तरीके जो मत्स्य पालन और वनस्पति कृषि दोनों को एकीकृत करते हैं।

10.10. मुख्य भूमि से अंडमान को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे केबल

(Undersea Cable to Link Andaman with Mainland)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिए 1,102.38 करोड़ रुपये की लागत से समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश को चेन्नई के साथ जोड़ने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- यह जल में डूबा हुआ ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) मुख्यभूमि (चेन्नई) और पोर्ट ब्लेयर एवं पांच अन्य द्वीप - लिटिल अंडमान, कार निकोबार, हैवलॉक, कमोर्ता और ग्रेट निकोबार को जोड़ेगा।
- वर्तमान में, दूरसंचार संपर्क उपग्रहों के माध्यम से है जोकि महंगा है और जिसकी बैंडविड्थ सीमित है।
- कनेक्टिविटी से द्वीपों के सामाजिक-आर्थिक विकास में मदद मिलेगी।
  - ✓ इससे द्वीपों में ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन, ई-कॉमर्स सुविधाओं और उद्यमों की स्थापना में सहायता मिलेगी।
  - ✓ यह ज्ञान साझा करने के लिए शैक्षिक संस्थानों को समर्थन प्रदान करेगी और रोजगार के अवसरों की उपलब्धता में भी सहायता करेगी।

VISION IAS

10.11. 94.4% परिवारों में बैंक खाते

(94.4% Households Have Bank Accounts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** से पता चला है कि 2015-16 में लगभग 94.4 फीसदी परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे।
- यह आंकड़े 2011 की जनगणना के सरकारी आंकड़ों, जिसके अनुसार 58.7 फीसदी भारतीय परिवारों के पास बचत बैंक खाते थे से कहीं ज्यादा हैं।

मुख्य तथ्य

- 93.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों और 96.8 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास एक बचत बैंक खाता था।
- बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से कम थी।
- रिपोर्ट के मुताबिक संभवतः प्रधानमंत्री जन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने इस उपलब्धि में विशेष भूमिका निभाई है।

10.12. रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016

(Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2016)

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने विधानमंडल रहित पांच केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) (सामान्य) नियम, 2016 अधिसूचित कर दिया है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के लिए लागू है।
- परियोजना का समापन सुनिश्चित करने के लिए डेवलपर्स द्वारा चालू अचल संपत्ति परियोजनाओं के लिए एकत्रित 70% अप्रयुक्त राशि एक अलग बैंक खाते में रखी जाएगी।
- डेवलपर्स को परियोजनाओं में देरी की स्थिति में भारतीय स्टेट बैंक की ऋण दर की सर्वोच्च सीमांत लागत आधारित ब्याज दर से 2 प्रतिशत अधिक की दर पर आवंटियों को, प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करनी होगी।
- प्रवर्तकों(प्रोमोटर्स) को परियोजना की प्रगति के संबंध में जानकारी प्रकाशित/अपलोड करनी होगी और खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए तिमाही प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी।
- इन नियमों में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय में समापन प्रमाणपत्र नहीं प्राप्त करने वाली चालू परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स को बाद में किए गए विनिर्देशों और परिवर्तनों के साथ मूल स्वीकृत योजना, आवंटियों से एकत्रित कुल राशि, प्रयुक्त धन, पूरा करने की मूल समयसीमा आदि सार्वजनिक करना पड़ेगा।
- इन नियमों के अधीन अधिनिर्णय अधिकारी, अचल संपत्ति प्राधिकारी और अपीलीय न्यायाधिकरण 60 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए भवननिर्माता (बिल्डर) द्वारा अधिकारियों के पास परियोजनाओं का पंजीयन कराते समय आयकर रिटर्न का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इसके अतिरिक्त, प्रोत्साहन के साधन के रूप में विनियामकीय प्राधिकारियों के पास परियोजनाओं के पंजीकरण का शुल्क आधे तक कम कर दिया गया है और परियोजनाओं के पंजीकरण का नवीकरण कराने का शुल्क पंजीकरण शुल्क का आधा निर्धारित किया गया है।

> सीमांत निधि लागत आधारित ब्याज दर(MCLR), किसी बैंक की वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे वह RBI द्वारा अनुमति प्राप्त कुछ स्थितियों को छोड़कर ऋण जारी नहीं कर सकता है। यह बैंक के लिए आंतरिक बेंचमार्क या संदर्भ दर है।

किये जाने वाले उपाय

- इस विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्योंकि अचल संपत्ति क्षेत्र पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त रहा है और अतीत में भारी संख्या में परियोजनाएं अधूरी रहीं है, जिससे उपभोक्ताओं को हानि हुई है।
- इस विधेयक के प्रावधानों को प्रचारित किया जाना चाहिए ताकि जनता के पास वह जानकारी हो जिसे वह अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश करने से पहले डेवलपर्स से प्राप्त करने की अधिकारी है।

VISION IAS

10.13. इथेनॉल मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में संशोधन

(Ethanol Pricing Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने चीनी से निकाले जाने वाले इथेनॉल के लिए,जिसका उपयोग पेट्रोल में सम्मिश्रण हेतु किया जाता है, के लिए एक नई मूल्य निर्धारण प्रणाली का प्रस्ताव रखा है।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने 2003 में कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रारंभ में इसकी मात्रा 5% तय की गयी थी, जिसे धीरे-धीरे बढाकर 10% कर दिया गया।
- हालांकि यह तेल विपणन कंपनियों (OMC) के समक्ष आ रही विभिन्न बाधाओं जैसे राज्य विशिष्ट मुद्दों, इथेनॉल के आपूर्तिकर्ता और मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों आदि के कारण नहीं किया जा सका है।

निहितार्थ

- यह व्यवस्था मुक्त बाजार संरचना की ओर जा रही है, इथेनॉल की कीमत अब खुले बाजार में चीनी के प्रचलित मूल्य के आधार पर या मांग-आपूर्ति की स्थिति के आधार पर निर्धारित होगी।
- मौजूदा आर्थिक स्थिति और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर इथेनॉल की कीमतों की उपयुक्त समीक्षा की जाएगी। एथेनॉल की आपूर्ति अवधि के दौरान सरकार द्वारा किसी भी समय मूल्य संशोधित किया जाएगा।

आगे की राह

- यह कदम निश्चित रूप से तेल विपणन कंपनियों के लिए फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों ने यह माना है कि पहले से ही उच्च चीनी की कीमतों के मद्देनजर, यह चीनी उत्पादकों को अच्छे लाभकारी मूल्य के साथ एक वैकल्पिक बाजार की गारंटी प्रदान कर सकता है।
- इस प्रकार यह दोनों पक्षों को लाभ पहुंचाएगा और देश के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के लिए लाभप्रद साबित हो सकता है।
- हालांकि सरकार को इथेनॉल पर उत्पाद शुल्क में छूट को पुनः लागू करने पर विचार करना चाहिए।

10.14.ओपेक द्वारा सामूहिक उत्पादन सीमित करने का निर्णय

(OPEC's Decision to Trim Collective Output)

- ओपेक देशों ने अल्जीयर्स में अपने तेल उत्पादन को मौजूदा 3.34 करोड़ बैरल रोजाना से घटाकर 3.25-3.30 करोड़ बैरल तक सीमित रखने का फैसला किया।
- यह पहली बार है जब ओपेक देशों ने तेल की कीमत में कटौती का फैसला किया है, जबकि पिछली बार 8 वर्ष पूर्व वित्तीय संकट के दौरान तेल की कीमत में गिरावट आयी थी ।
- यह वैश्विक तेल की कीमतों में लगातार गिरावट एवं मांग और आपूर्ति के असंतुलन के आलोक में किया गया जिससे कार्टेल के देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।
- सउदी अरब, कार्टेल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो प्रारंभ में उत्पादन में कमी के विरुद्ध था, इसका राजकोषीय घाटा 2015 में सकल घरेलू उत्पाद का 16% था एवं इसे एक दशक से अधिक समय में पहली बार विदेशी उधार लेना पड़ा था।
- हालांकि, ईरान को तत्काल उत्पादन की उच्चतम सीमा से छूट दी गई है क्योंकि ईरान से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हाल ही में हटाया गया है।

10.15. वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (WEF)

(WEF Global Competitive Index)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 16 अंक की छलांग लगाकर 2015-16 के 55 वें स्थान के मुकाबले 2016-17 में 39 वें स्थान पर आ गया।
- पिछले वर्ष भी भारत की रैंकिंग में वृद्धि दर्ज की गई, जिससे भारत में प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सुधार के संकेत मिलते हैं।

मुख्य तथ्य

- प्रतिस्पर्धा के आंकलन के मापदंडों में से स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर भारत में सभी श्रेणियों में सुधार हुआ है।

10.16. डिजिटल अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए कानून

(Legislation to regulate the digital economy)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, में संशोधन पर विचार कर रही है जो साइबर अपराधों और ई-कॉमर्स से जुडा है।

पृष्ठभूमि

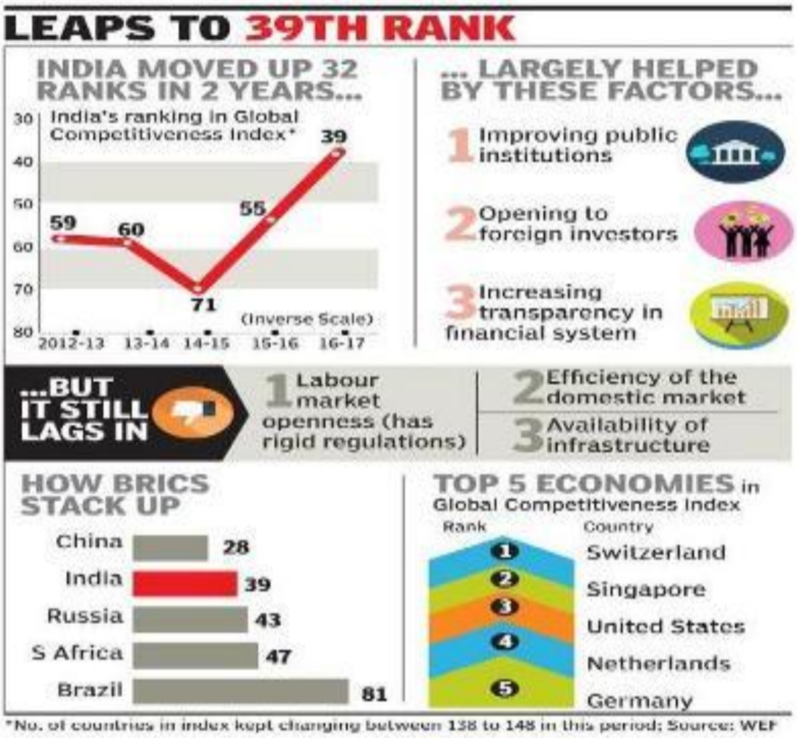

- यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब विधि विशेषज्ञों में यह भावना बढ़ रही थी कि मौजूदा कानून जो 2008 में संशोधित हुआ था साइबर सुरक्षा के कुछ पहलुओं जैसे साईबर अपराध, मोबाइल अपराधों और सोशल मीडिया के दुरुपयोग को पर्याप्त रूप से सम्मिलित नहीं करता है।
- 2008 के संशोधन से धारा 66 A जोड़ी गयी, जो अपमानजनक संदेश (offensive message) के प्रयोग पर सज़ा का प्रावधान करती है। धारा 69, अधिकारियों को सूचनाओं पर नजर रखने, उनमें अवरोध उत्पन्न करने, कोड को सामान्य भाषा में परिवर्तित (decrypt) करने की शक्ति देती है तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर आतंकवाद और दर्शनरति (voyeurism) के लिए दंड का प्रावधान करती है।

आवश्यकता

1. हाल के वर्षों में डिजिटल मीडिया के प्रसार को देखते हुए, अधिनियम में बिचौलियों(intermediaries) की परिभाषा का विस्तार करने की जरूरत है।
2. आईटी एक्ट में बदलाव करने से पहले हितधारकों से व्यापक रूप से सलाह मशविरा नहीं किया गया। इसलिए आईटी एक्ट के खिलाफ सिविल सोसायटी में व्यापक असहमति व्याप्त थी।
3. इंटरनेट, बैंकिंग, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस सेवाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के त्वरित स्वीकरण के कारण एक व्यापक गोपनीय व्यवस्था की आवश्यकता है। संगठनों में व्यक्तिगत पहचान की जानकारी से कैसे व्यवहार करना है इसके बारे में दिशा-निर्देश जारी करना।
4. व्यापक गोपनीयता कानूनों के अभाव में भारतीय आउटसोर्सिंग उद्योग, अत्यधिक गोपनीयता और आंकड़ों सुरक्षा नियमों वाले देशों से मौजूदा और नए कारोबारी अवसरों को गँवा सकते हैं।

a) संवेदनशील व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा के लिए आईटी एक्ट 2008 में संशोधन कर कुछ निजता सुरक्षा प्रावधानों को लाया गया।

b) हालांकि,यह प्रावधान सरकारी आंकड़ों पर लागू नहीं होता। सरकारी निकायों के स्तर पर निजी आंकड़ों के प्रावधानों जैसे ई-गवर्नेंस, जैम ट्रिनिटी पर बल ने कई आईटी विशेषज्ञों को चिंतित किया है।

5. यह आशंका जताई जा रही है कि भारत एक निगरानी राष्ट्र बन सकता है।

विनियमन

विशेषज्ञों के अनुसार आईटी अधिनियम के विस्तृत परिभाषित मानदंड होने चाहिए जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को संचालित कर सके।

सरकार की भूमिका - विशेष रूप से, कब हस्तक्षेप करना है और कब बाजार को इस तरह के मामलों से स्वंय निपटना है यह बिंदु साइबर स्पेस नियमन की चर्चाओं के केन्द्र बिन्दु में हो।

1. राष्ट्रीय रणनीति: सरकार के लिए प्रमुख दुविधा का प्रश्न शहरी निवासियों के लिए उच्च गति का संपर्क (कनेक्टिविटी) बनाम ग्रामीण निवासियों के लिए आधारभूत संपर्क (बेसिक कनेक्टिविटी) प्रदान करने का है। पहले को सुविधा प्रदान करने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी, जबकि दूसरे से प्राथमिक स्वास्थ्य, वित्तीय, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाओं के वितरण में सहयोग मिलेगा।

2. कनेक्टिविटी प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है: ज्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार को कुछ स्तर तक पहुँच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वहन करनी होगी, विशेष रूप से जहां निजी क्षेत्र की तैनाती अनार्थिक है।

a) विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है ब्रॉडबैंड को राजमार्गों या रेल लाइनों की तरह आम उपयोगिता मानकर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

3.सरकार डिजिटल आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नवाचार कैसे ला सकती हैं? : ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में सरकार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सफलता, जबकि दूसरे देशों में निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की भूमिका को सीमित करने और स्थानीय नगर पालिकाओं और विश्वविद्यालयों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है।

4. विनियामक वातावरण का भविष्य क्या है?: तीव्र गति से बढ़ते उद्योगों में, नियामकों को बाजार और तकनीकी विकास के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पर रहा है।

आगे की राह और निष्कर्ष

1. गोपनीयता कानून के सिद्धांतों पर एपी शाह समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
2. सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों संस्थाओं पर गोपनीयता सुरक्षा उपाय लागू होने चाहिए।
3. उद्योगों में आधारभूत कानूनी ढांचे के विकास के लिए स्व- विनियमन संगठनों की स्थापना, जो एक व्यक्ति की निजता के अधिकार की रक्षा एवं उसे सही तरीके से लागू भी करेगा।
4. आईटी अधिनियम की चिंताएं बहुत विस्तृत है। साइबर आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता चिंताओं, संवेदनशील डेटा लीकेज जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए विशेषीकृत एजेंसियों और कानून की आवश्यकता है।
5. कानून का निर्माण हितधारकों की आम सहमति पर आधारित होना चाहिए तथा कानून के निर्माण में निवारण की दिशा में सहिष्णुता अंतर्निहित होती है।

नवाचार, पहुँच और सामर्थ्य के बीच संतुलन होना चाहिए, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आधारभूत मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है।

10.17. चेन्नई में भारत का पहला मेडीपार्क

(India's First Medipark to Come Up in Chennai)

मेडीपार्क के सन्दर्भ में

- सार्वजनिक क्षेत्र की एक मिनी रत्न कंपनी HLL लाइफकेयर लिमिटेड, चेन्नई के बाह्य इलाके में बसे शहर चेंगलपट्टू में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण पार्क (Medipark) की स्थापना करेगा।
- परियोजना में HLL की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, जबकि तमिलनाडु सरकार 10 फीसदी की भागीदारी रखेगी।
- इसे पूरा होने में सात वर्ष का समय लगेगा तथा इसे विभिन्न चरणों में विकसित किया जा रहा है।
- HLL लाइफकेयर, एक सहायक के माध्यम से चेंगलपट्टू में एक एकीकृत टीका परिसर स्थापित कर रहा है ताकि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए विभिन्न टीकों का निर्माण किया जा सके।

VISION IAS

महत्व

- मेडीपार्क देश में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहला विनिर्माण क्लस्टर होगा, और यह चिकित्सा उपकरणों, तकनीकी उद्योगों और संबद्ध विषयों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- भारत अपने चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों में 70% का आयात करता है। भारत इमेजिंग उपकरण, पेस मेकर और श्वास और श्वसन संबंधी उपकरण जैसे उच्च अंत उत्पाद (दीर्घवधि उपयोग वाले उत्पाद) में लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। इन उपकरणों और यंत्रों के घरेलू विनिर्माण से लागत निम्न होगी और स्वास्थ्य सेवा और अधिक किफायती होगी।
- मेक इन इंडिया के एक भाग के रूप में यह प्रत्यक्ष रूप से 3000 लोगों को और एक बार काम शुरू हो जाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से कई और हजारों लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेगा।